राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN: U17232WB1980GOI032768

39वीं वार्षिक प्रतिवेदन
2018-19

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	वार्षिक साधारण सभा की सूचना	1
2.	बोर्ड के निदेशकगण एवं अन्य विवरण	2
3.	निदेशकों का रिपोर्ट	4
4.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	17
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	18
6.	लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक	27
7.	तुलन पत्र	34
8.	लाभ-हानि विवरण	35
9.	नकद प्रवाह विवरण	36
10.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	38

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

39वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की 39वीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए बुधवार, 18 दिसंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 में होगी:

1) 31 मार्च 2019 तक के लेखापरीक्षित तुलनपत्र एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाता के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के रिपोर्ट एवं इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणियों पर विचार करना और उसे पारित करना।

2) सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

प्रस्तावित कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अनुसार मेसर्स आर.के. पटोदी एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2019-20 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निदेशानुसार नियुक्त किया गया है जिनका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के साथ उससे संबंधित नियमों के अनुसार 1,37,000/- रुपये (पॉकेट खर्च एवं जीएसटी को छोड़कर) है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
चार्टर्ड बैंक भवन, 2रा तल,
4, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001
फोन : 033-2230 6434, फैक्स : 91-33-2230 5103
ई-मेल : njmcltd@gmail.com
वेब : www.njmc.org.in

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16 दिसंबर, 2019

टिप्पणी :

1) सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर परोक्षी को उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं और परोक्षी को सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2) प्रभावी होने के लिए परोक्षी द्वारा फार्म को विधिवत् भरा जाना चाहिए और उसे बैठक आरंभ होने के कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।

बोर्ड के निदेशकगण
01.04.2018 - 31.12.2019

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक : श्री मलॉय चंदन चक्रवर्ती (29.11.2019 से)

: श्री संजय रस्तोगी (09.11.2018 से 08.11.2019 तक)

: डा. के.वी.आर. मूर्ति (06.03.2017 से 09.11.2018 तक)

निदेशकगण : श्री संजय शरण (14.02.2019 से)

: श्री विजय कुमार सिंह (23.07.2019 से)

: डा. सुभाष चंद्र पांडे (08.03.2018 से 23.07.2019 तक)

: श्री ए. मधुकुमार रेड्डी (03.03.2015 से 14.02.2019 तक)

कंपनी सचिव : सुश्री मालिनी महापात्र (28.08.2019 से)

: सुश्री इशा सेन (15.02.2018 से 14.02.2019 तक)

लेखापरीक्षा समिति का वर्तमान संरचना

श्री विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष
श्री मलॉय चंदन चक्रवर्ती : सदस्य
श्री संजय शरण : सदस्य

सांविधिक लेखा परीक्षकगण : मेसर्स गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
30बी, सुहासिनी गांगुली सारणी,
(सुबर्बन स्कूल रोड)
प्रथम तल, भवानीपुर
कोलकाता - 700 025

बैंकर्स : इलाहाबाद बैंक
यूको बैक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक
आई डी बी आई बैंक
यूनियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय : चार्टर्ड बैंक भवन, द्वितीय तल
4, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001

मिल यूनिट : एलेक्जेंड्रा, पो.ऑ.-जगतदल,
जिला-उत्तर 24 परगना,
पिन-743 125, पश्चिम बंगाल

: खारदाह, पो.ऑ.-टीटाग़ढ,
जिला-उत्तर 24 परगना,
पिन-700 019, पश्चिम बंगाल

: किन्नीसन, पो.ऑ.-टीटाग़ढ,
जिला उत्तर 24 परगना,
पिन 700 019, पश्चिम बंगाल

: नेशनल
ग्राम-राजगंज, संकैल, पो.ऑ.-बानीपुर, जिला-हावड़ा,
पिन-711 304, पश्चिम बंगाल

: यूनियन
कान्वेंट लेन
कोलकाता 700 015

: आर बी एच एम
कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार,
पिन-854 105, बिहार

सहायक कंपनी : बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चार्टर्ड बैंक भवन, 1ला तल,
4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता 700 001

: मिल यूनिट
200, दक्षिणदारी रोड (नजदीक वी.आई. पी. रोड)
कोलकाता-700 048
(वर्ष 1986 से)

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारीगण

महानुभावगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार एवं कार्यकलाप के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखा से संबंधित 39वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 के कार्य-निष्पादन का सारांश निम्न प्रकार हैं:

स्टैंडएलोन

क्र.सं.	ब्यौरा	2018-19	2017-18
1.	उत्पादन (टन में)	शून्य	शून्य
		रू. करोड़ में	रू. करोड़ में
2.	परिचालन से राजस्व	-	-
3.	अन्य आय	13.75	18.23
4.	**वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)**	**1.45**	**9.19**
5.	नकदी लाभ/(हानि)	2.16	9.84
6.	**संचित लाभ/(हानि)**	**(282.20)**	**(283.66)**
7.	**शुद्ध मूल्य**	**(221.97)**	**(223.43)**

कंपनी ने विगत वित्तीय वर्ष के 9.19 करोड़ रुपये की शुद्ध लाभ की तुलना में 13.75 करोड़ रु की गैर-परिचालन आय पर विचार करने के उपरांत 1.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

कंपनी की वर्तमान स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दी है और इस संबंध में हमें एक पत्र फाइल सं.11/18/2014-जूट (खंड-III) दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 अग्रेषित किया था। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया था कि डीपीई के दिशा-निदेश दिनांक 14.06.2018 के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

उसके अनुसार निगम दिशा-निदेशों का अनुपालन कर रहा है और बंद से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को नियमित रूप से वस्त्र मंत्रालय के पास भेजा जाता है।

2. लाभ-हानि विश्लेषण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने विगत वर्ष के 9.19 करोड़ रु के मुकाबले 1.45 करोड़ रु का लाभ अर्जित किया है।

3. सहायक कंपनी-बीजेईएल

कंपनी के पास एक सहायक कंपनी अर्थात् बड्र्स जूट और एक्सपोर्ट लिमिटेड (बीजेईएल) है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को संगठन को बंद करने की मंजूरी दी है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी के लेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन 31 मार्च 2019 तक के कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ लेखा का विलय नहीं किया गया है क्योंकि सीएंडएजी के लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और एजीएम अभी होना है। तथापि हमें हस्ताक्षिरत लेखा की एक प्रति प्राप्त हुई है और यह देखा गया है कि कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक है और (7777.36 लाख रु) है और जिसका 59% एनजेएमसी लि. द्वारा लेखा में लिया जाना है।

4. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

कंपनी के प्रस्तावित बंद होने के कारण वस्त्र मंत्रालय ने 2016-17 और उसके बाद से निगम को एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट दी है।

5. कॉरपोरेट गवर्नेंस

5.1 कंपनी का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दृष्टिकोण कॉरपोरेट गवर्नेंस के सर्वोत्तम मानकों की ओर ले जाने वाले परिचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के अनुपालन के उच्च स्तर को प्राप्त करना है।

5.2 31.03.2019 तक के निदेशक मंडल और बैठकों का विवरण जिसमें वर्ष के दौरान उपस्थित हुए।

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है। बोर्ड का वर्तमान संरचना और वर्ष के दौरान बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार हैं:

निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा (1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019)				क्या एजीएम में उपस्थित थे
		29 जून, 2018	6 जूलाई, 2018	7 दिसम्बर, 2018	13 मार्च, 2019	7 दिसम्बर, 2018
श्री संजय रस्तोगी (9.11.2018 को नियुक्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां	हां
श्री संजय शरण (14.02.2019 को नियुक्त)	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
डा. एस.सी. पांडे (08.03.2018 को नियुक्त)	सरकार नामित निदेशक	हां	हां	हां	हां	हां

नोट:

- ❖ डा. के.वी.आर मूर्ति, सीएमडी के कार्यकाल का समापन होने के उपरांत दिनांक 9.11.2018 को श्री संजय रस्तोगी को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- ❖ श्री ए. मधुकुमार रेड्डी, नामित निदेशक का कार्यकाल 14.02.2019 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर श्री संजय शरण को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- ❖ डा. एस.सी.पांडे के स्थान पर 23.07.2019 को श्री विजय कुमार सिंह, एएस एंड एफए को सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.3 लेखापरीक्षा समिति

निगम की लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए और विनियम प्रासंगिक/सहायक उपबंधों के प्रावधानों के अनुसार इसकी मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कॉर्पोरेट अभ्यास का पालन करने के लिए किया गया है। लेखापरीक्षा समिति में तीन सदस्य हैं और लेखापरीक्षा समिति का कोरम दो सदस्य का है। लेखापरीक्षा समिति के वर्तमान सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डा. एस.सी. पांडे, गैर-कार्यपालक निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री संजय शरण, गैर-कार्यपालक निदेशक - सदस्य
3.	श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - सदस्य

- ❖ डा. एस.सी. पांडे के स्थान पर श्री विजय कुमार सिंह, एएस एंड एफए को समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल कर लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है और समिति ने 16.09.2019 को अपनी 41वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की।
- ❖ कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:

ए) वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना।

बी) कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की संस्तुति करना।

सी) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता व कार्य-निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

डी) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन करना।

ई) अंतरकॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना।

एफ) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जब कभी आवश्यक हो।

जी) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना।

एच) सार्वजनिक पेशकश और इससे संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्रित किये गये निधि का अंतिम उपयोग करने तक निगरानी करना, यदि कुछ हो।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई। हालाँकि नए सदस्यों को शामिल कर समिति का पुनर्गठन किया गया और 16 सितंबर, 2019 को लेखापरीक्षा समिति की 41वीं बैठक का आयोजन किया गया।

5.4 साधारण निकाय की बैठकें:

		2015-16, 36वीं एजीएम	2016-17, 37वीं एजीएम	2017-18, 38वीं एजीएम
01	तारीख	28.09.2016	04.12.2017	07.12.2018
02	समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे	अपराह्न 1.00 बजे
03	स्थान	पंजीकृत कार्यालय, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 2रा तल, 4 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता ; 700 001	पंजीकृत कार्यालय, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 2रा तल, 4 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता ; 700 001	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

5.5 प्रकटन

i) कंपनी अधिनियम, लेखाकरण मानक पद्धित और अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

ii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/सीवीओ/सीएमडी के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

iii) लागू मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट आवश्यकता का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

iv) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निदेशों का अनुपालन किया गया है।

v) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।

vi) व्यक्तिगत के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है।

5.6 अन्य सूचना

i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही

बोर्ड के समक्ष साधारणतः निम्नलिखित सूचनाएं रखी गईः

ए) कार्यवृत्त की पुष्टि।

बी) बोर्ड में लिये गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

सी) विभिन्न मुद्दों पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट

डी) कानूनी मामले

ई) वार्षिक लेखा

एफ) समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट

ii) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची : बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की तिथि निर्धारित होने पर कार्यसूची तैयार किए जाते हैं और उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। इसी प्रकार से बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त को निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचार और अनुमोदन के लिए भेजी जाती है।

iii) विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि : बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

iv) बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग : कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है और तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

5.7 व्यापार आचार संहिता

कंपनी व्यापार आचार संहिता के उच्चतम मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. लाभांश

चूंकि निगम संसद के निर्णय के अनुसार बंद होने की प्रक्रिया में है इसलिए निदेशकगण वर्ष 2018-19 के दौरान लाभांश के रूप में किसी भी राशि की संस्तुति नहीं करते हैं।

7. आरक्षण में स्थानांतरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के निदेशकगण ने किसी भी राशि को आरक्षण में स्थानांतरित करने की संस्तुति नहीं की है।

8. सतर्कता

सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम 29.10.2018 से 03.11.2018 तक मनाया गया। उक्त अवधि के दौरान निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने का संकल्प लिया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री अनिंद्य मजुमदार, सीओओ, एनजेएमसी लि. ने 31.05.2018 तक अस्थायी रुप से मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का प्रभार संभाला था। तत्पश्चात् श्री इमान अली मंडल, सीओओ, एनजेएमसी लि. को 05.10.2018 को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का प्रभार सौंपा गया और तब से जारी है।

9. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है।

10. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) द्वारा अपेक्षित है, निदेशकगण का कहना है कि :

i) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इसके साथ सामग्री जाने से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है

ii) निदेशकगण ने ऐसे लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उसे लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और अनुमान है कि वह उचित और विवेकपूर्ण है जिससे 31 मार्च 2019 तक कंपनी के कार्य और उस अवधि के कंपनी के लाभ-हानि का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

iii) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रखरखाव करने, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए समुचित और पर्याप्त देखभाल की है।

iv) निदेशकगण ने वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है।

v) कंपनी असूचीबद्ध होने के नाते आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को रखने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) का उपखंड (ई) लागू नहीं है।

vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

11. बोर्ड के निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- **बोर्ड के निदेशकगण**

  डा. के.वी.आर मूर्ति, सीएमडी के कार्यकाल का समापन होने के उपरांत दिनांक 9.11.2018 को श्री संजय रस्तोगी को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

  श्री ए. मधुकुमार रेड्डी, नामित निदेशक का कार्यकाल 14.02.2019 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर श्री संजय शरण को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

  डा. एस.सी.पांडे के स्थान पर 23.07.2019 को श्री विजय कुमार सिंह, एएस एंड एफए को सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

  श्री मलॉय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त ने 29.11.2019 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार ग्रहण किया।

- **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

  15.02.2018 को सुश्री इशा सेन को निगम के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 14.02.2019 को इस्तीफा दे दिया। इसके उपरांत 16 सितंबर, 2019 को सुश्री मालिनी महापात्रा को निगम के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

12. संबंधित पार्टी का लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए संबंधित पार्टी का लेनदेन लक्ष्य आधारित थे और व्यापार के सामान्य कारोबर के दौरान थे। कंपनी द्वारा किए गए पार्टी के लेनदेन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जो कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 का उल्लंघन करते हुए संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

13. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने पंजीकृत कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय के अंदर प्रदान की जाती है।

14. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को बंद करने के लिए 10.10.2018 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और इससे संबंधित नियमों के अंतर्गत सीएसआर के प्रावधान निगम पर लागू नहीं हैं।

15. जमा राशि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने किसी भी जमा राशि को न तो स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

16. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

17. विनयकों/न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित आदेश

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के संबंध में नियामकों/न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

18. सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता

भारत सरकार ने दिनांक 10.10.2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है। यह वहां तक लागू है जहां तक निगम को प्रभावित करता है

19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

जैसाकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन किया जाना अपेक्षित है, ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय से संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है और इस रिपोर्ट का अंश है।

20. वार्षिक विवरण का सार

एमजीटी-9 के रूप में वार्षिक विवरणी के सार के अंश का ब्यौरा इसके साथ परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अंश है जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) पढ़ा जाए, के अंतर्गत अपेक्षित है।

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

भारत सरकार ने 10.10.2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कंपनी की भूमिका में कोई भी स्थायी कर्मचारी मौजूद नहीं है, इस प्रकार से उपरोक्त लागू नहीं है।

22. मानव संसाधन नीति और औद्योगिक संबंध

बंद होने जा रही निगम को ध्यान में रखते हुए एनजेएमसी लिमिटेड को संविदात्मक कार्मिकों को लेकर कारोबार संचालित करने का सुझाव दिया गया है, तदनुसार कार्मिकों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त की गई है। भर्ती किए गए कार्मिकों का चयन एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाता है और सबसे अच्छे कार्मिकों को पाने के लिए खुले विज्ञापन के साथ-साथ पीएसयू चयन प्रक्रिया के अनुरूप होता है।

23. सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित इसके अंतर्गत लागू नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बंद होने जा रही निगम को ध्यान में रखते हुए निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत का लेखापरीक्षा का संचालन करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी ने अपने सभी उत्पादन बंद कर दिए हैं।

24. लेखापरीक्षा का मंतव्य और टिप्पणियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए मंतव्य स्वयं व्याख्यात्मक हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अंतर्गत आगे टिप्पणी करने के लिए नहीं कहे हैं।

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका पर्याप्तता

निगम के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रबंधन के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है जिसका प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा संचलन किया जाता है।

26. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा का समीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कंपनी के लेखों की समीक्षा की है और उनकी टिप्पणियों को परिशिष्ट-III में रखा गया है।

27. आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग को कंपनी को समय-समय पर उनके सहयोग और पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे पश्र्चिम बंगाल और बिहार सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए भी आभारी हैं। निदेशक कंपनी के बैंकर्स, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों और उनके सभी कर्मचारियों से प्राप्त निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(मलॉय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08641793

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.12.2019

परिशिष्ट - I

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय से संबंधित ब्यौरा का प्रकटन।

ए) ऊर्जा का संरक्षण :

चूंकि निगम ने बंद करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की है, इसलिए सभी मिलों का असंचालन और बंद होने के कारण ऊर्जा के संरक्षण ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

बी) प्रौद्योगिकी समावेशन :

चूंकि निगम ने बंद करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की है, इसलिए सभी मिलों का असंचालन और बंद होने के कारण प्रौद्योगिकी समावेशन ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

सी) विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा का उपार्जन अथवा व्यय नहीं हुआ।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(मलॉय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.12.2019

परिशिष्ट - II
फार्म सं.एमजीटी-9
वार्षिक विवरण का सार
31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरा

i)	सी.आई.एन	यू 17232 डब्ल्यू बी 1980 जी.ओ.आई 032768
ii)	पंजीकरण की तिथि	03.06.1980
iii)	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4, एन.एस. रोड, 2रा तल, कोलकाता-700 001, फोन : 033 22306434
vi)	क्या सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार का क्रिया-कलाप

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा है, को दर्शाया जाए।

कंपनी की सभी छः मिलें परिचालन में नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन शून्य है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

III . होल्डिंग, सहायक, सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
1.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी1904 जीओआई001579	सहायक कंपनी	59%	2(87)

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
(2) विदेशी									
ए) एनआरआइज-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों									
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थानों									
ए) निकायों निगम									
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य
कुल		557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य

❖ *कंपनी पूर्णतः सरकार स्वामित्व वाली कंपनी है, कुल शेयरहोल्डिंग में से 557972 इक्विटी शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति द्वारा रखा गया है और शेष 2 शेयरों को वस्त्र मंत्रालय, सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा रखा गया है।*

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)- कोई परिवर्तन नहीं।

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	557974	100	557974	100

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	557974	100	557974	100

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(V) कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	418.52	-	-
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	11.67	-	-
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	430.19	-	430.19
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
बढ़ोतरी	-	-	-	-
कटौती	-	200	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	230.19		230.19
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	218.52	-	-
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	11.99	-	-
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)		230.51		230.51

(VI) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तोंनुसार किया जाता है।

(VII) अपराधों का दंड/सजा/समझौता

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी धारा का उल्लंघन करने के लिए कंपनी, इसके निदेशकगण या अन्य अधिकारीगण के विरुद्ध चूक के रूप में अपराधों का कोई भी दंड/सजा/समझौता नहीं है।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(मलॉय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08641793

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.12.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 20 सितम्बर, 2019 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूं। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से हुआ है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी कर्मी के पूछताछ व कुछ लेखा रिकार्ड्स का चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के अनुपूरक जवाब दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I
कोलकाता

स्थान : कोलकता
दिनांक : 26 नवम्बर, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2019 तक के तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण, वर्ष के अंत तक का नगद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारे रिपोर्ट के सशर्त राय के लिए आधार खंड में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां भारत में साधारणतः स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक के कंपनी के कार्यों एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ एवं उसका नकद प्रवाह एक सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

सशर्त राय के लिए आधार

ए) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना:

लेखों को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया है जो निम्नलिखित कारणों से इस परिस्थितियों में उचित नहीं है:

ए) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और उसकी सहायक कं. बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दी है। सभी संपत्तियों का निपटान दिनांक 14.6.2018 के डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुसार होगा और देनदारियां चुकाने के उपरांत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को भारत के समेकित कोष में जमा की जाएगी। इसके अलावा एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। एलएमए डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुसार निपटान करने से पहले परिसंपत्तियों का पूरी तरह से सत्यापन करेगा। एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण ने अपनी 177वीं बैठक में भवन सहित सभी चल परिसंपत्तियों की नीलामी एजेंसी के रूप में मेसर्स एमएसटीसी को नामित किया।

बी) बंद करने की अधिसूचना के शर्तानुसार में कंपनी ने भारत सरकार को ब्याज मुक्त ऋण के विरूद्ध 200 करोड़ रुपये वापस किया है। विगत वर्षों में कंपनी की आय मुख्यतः आवधिक जमा पर ब्याज आय से थी जो काफी कम हो गई है।

सी) वित्तीय विवरणियों से संकेत मिलता है कि कंपनी की चल और अचल देयताएं उनकी कुल परिसंपत्ति से 22197.50 लाख रुपये अधिक है। मिलें पूरे साल चालू नहीं रहीं और अनुमानित पुनरुद्धार योजना को प्राप्त नहीं किया जा सका और कर्मचारीगण निरंतर कम होते गए।

ये कारक सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने के लिए कंपनी की अक्षमता की पुष्टि करते हैं और कंपनी सामान्य कारोबार में अपनी परिसंपत्ति को वसूलने और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ रहेगी।

बी) लेखाकरण मानकों के साथ गैर अनुपालन:

बी1 लेखाकरण मानक-2 वस्तुसूचियों का मूल्यांकन

जैसाकि लेखाकरण नीति 1.4 में दर्शाया गया है, वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या बाजार मूल्य पर किया जाता है। अधिकतम वस्तुसूचियों को लंबे समय से आगे लाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्तुसूची की कोई

संचलन नहीं है। हमें प्रासंगिक लागत विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे और इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि एएस-2 का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसके अलावा वस्तुसूची का आयु वार विश्लेषण और अप्रचिलत, अचल व गैर-विपणन योग्य वस्तुसूचियों की पहचान नहीं की गई है। वस्तुसूचियों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वस्तुसूची का ढुलाई मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

बी2 लेखाकरण मानक-9 राजस्व का मान्यता

कंपनी ने सहायक कं. को दी गई ऋण से 92.79 लाख रुपये की ब्याज आय को मान्यता दी है और उसी समय उसी राशि के खातों में प्रावधान किया गया है। सहायक कंपनी ने लंबे समय से ऋण राशि और ब्याज का भुगतान करने में चूक की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी है। चूंकि इसे संग्रह करने के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, हमारी राय में इसे (एएस)9 "राजस्व का मान्यता" के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

बी3 लेखाकरण मानक-21 समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी के पास एक सहायक कंपनी अर्थात् बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत नहीं किया है जैसाकि (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण" द्वारा अपेक्षित है।

बी4 लेखाकरण मानक-22 आय पर कर के लिए लेखाकरण

कंपनी ने आय पर कर के लिए एएस-22 लेखाकरण का अनुपालन नहीं किया है। उक्त मानक के शर्तानुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता को सुनिश्चित नहीं किया है और इसकी मान्यता नहीं दी गई है।

बी5 लेखाकरण मानक-24 परिचालन बंद करना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले, बीआईएफआर ने कंपनी को तीन बंद मिलों की भूमि सहित कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान करने का निदेश दिया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 से तीन पुनरुद्धार मिलों में परिचालन भी बंद हो गया है। तथापि बोर्ड के निदेशकगण द्वारा वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में बंद करने की औपचारिक योजना के बारे में कोई भी प्रकटन नहीं किया गया है जैसाकि (एएस)24, 'परिचालन बंद करना' द्वारा अपेक्षित है।

बी6 लेखाकरण मानक-28 परिसंपत्ति की हानि

परिसंपत्तियों के नुकसान के संबंध में कोई भी लेखाकरण नीति नहीं दर्शायी है। वर्ष के दौरान कंपनी की मिलें चालू नहीं थीं। जैसाकि नोट 28(8) में दर्शाया गया है, कंपनी ने (एएस)28 के अनुसार नुकसान से हुई हानि का निर्धारण नहीं किया है और इसलिए इसे लाभ-हानि के विवरणी में मान्यता नहीं दी गई है।

बी7 लेखाकरण मानक-29 'प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक परिसंपत्ति'

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी विषयांतर मामलों पर विभिन्न पार्टियों के साथ मुकदमेबाजी में है और ये मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं। तथापि कंपनी ने बाध्यता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण के साथ तुलन-पत्र की तारीख में आकस्मिक देयता के प्रत्येक श्रेणी के लिए निपटान करने में किसी भी निकासी की संभावना को दर्शाया नहीं है जैसाकि (एएस)29 'प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक परिसंपत्ति' द्वारा अपेक्षित है।

सी) आय/व्यय और परिसंपत्तियों/देयताओं का कम/अधिक विवरण:

सी1 निश्चित परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास

ए) जैसाकि टिप्पणी 1.2.2 में दर्शाया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार अपनी मौजूदा निश्चित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को फिर से निर्धारित किया है और ह्रासित मूल्य पद्धित से संबंधित मूल्यह्रास की नई दरें शेष बचे उपयोगी जीवन से अधिक परिसंपत्ति के मूल्यह्रास पर आ गई हैं। तथापि मूल्यह्रास की दर के पुनः समायोजन सहित आवश्यक विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराये गये थे और इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी अधिनियम का अनुपालन किया गया है और लेखा में लगाए गए मूल्यह्रास पर्याप्त है।

बी) जैसाकि टिप्पणी 10(2) में दर्शाया गया है, निश्चित परिसंपत्तियों में कंपनी से संबंधित कुछ मशीनें शामिल हैं जो राष्ट्रीयकरण की तारीख में तृतीय पक्ष के साथ थे। ऐसी मशीनरी के विवरण की जानकारी लंबे समय से नहीं है और इन लेखा में ऐसी मशीनरी के बही मूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सी) जैसाकि टिप्पणी 10(4) में प्रकट किया गया है, भूमि और भवन में 5 अलीपुर रोड, कोलकाता में स्थित संपत्ति शामिल है, हालांकि यह जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कंपनी में निहित है परंतु कंपनी के कब्जे में नहीं है। जैसाकि कंपनी द्वारा दर्शाया किया गया है, यह मामला न्यायाधीन है और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कानूनी विशेषज्ञों एवं विधि और न्याय मंत्रालय के अलग-अलग विचार उपलब्ध हैं। तथापि यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने कोलकाता नगर निगम से प्राप्त मांग के आधार पर इस संपत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान नगरपालिका कर हेतु 193.27 लाख रुपये प्रदान किया है।

डी) 2017-18 के दौरान भारत सरकार के उपक्रम (फेरो स्कैप निगम लिमिटेड) द्वारा यूनियन मिल को छोड़कर कंपनी के 5 (पांच) मिलों के संयंत्र और मशीनरी का प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन किये गये थे। उनके रिपोर्ट के अनुसार नेशनल और एलेक्जेंड्रा इकाइयों में संयंत्र और मशीनरी अत्यधिक क्षतिग्रस्त एवं सेवारहित हालत में थे और आगे उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं नगण्य हैं। खारदाह और आरबीएचएम कटिहार की इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और सेवारहित हालत में थे और आगे उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं सौम्य हैं। किन्निसन यूनिट में संयंत्र और मशीनरी मामूली रूप से जंग लगी थी और सेवारहित हालत में थी और आगे इसके उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं उचित है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी का कुल वसूली योग्य मूल्य 2942.16 लाख रुपये और संकटकालीन बिक्री मूल्य 2422.96 लाख रुपये है। लेखा के अनुसार यह मूल्यांकन संयंत्र और मशीनरी के शुद्ध ब्लॉक से बहुत अधिक है जो 202.14 लाख रुपये हैं। तथापि निश्चित परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ प्रत्यक्ष सत्यापित परिसंपत्तियों का कोई समाधान नहीं हुआ है।

ई) 2018-19 के दौरान एनजेएमसी लिमिटेड ने एनजेएमसी के छह मिलों अर्थात् पश्चिम बंगाल में खारदाह, किन्निसन, एलेक्जेंड्रा, नेशनल एवं यूनियन और कटिहार, बिहार में आरबीएचएम से संबंधित भूमि का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण और निरीक्षण करने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक सरकारी पंजीकृत चार्टर्ड वैल्यूएशन सर्वेयर, एसोसिएट भैल्युअर्स को नियुक्त किया। 5ए, अलीपुर रोड के बंगला और कलिम्पोंग में गेस्ट हाउस का मूल्यांकन भी किया गया था।

लेखा के अनुसार यह मूल्यांकन भूमि के मूल्य से बहुत अधिक है जो 605.59 लाख रुपये है। जैसाकि ऊपर पैरा ए में हमारे रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुसार निपटान करने से पहले एलएमए परिसंपत्तियों का पूरी तरह से सत्यापन करेगा।

मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार है:

जूट मिल का नाम	भूमि का क्षेत्र	बिना अधिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य (लाख रुपये)	अधिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य (लाख रुपये)	कुल (रुपये लाख में)
एलेक्जेंड्रा जूट मिल	52.68	13570.52	6860.89	20431.41
खरदाह जूट मिल	86.60	19029.12	14225.28	33254.40
किन्निसन जूट मिल	53.595	18961.63	2116.61	21078.24
नेशनल जूट मिल	65.043	3521.73	1161.36	4683.09
यूनियन जूट मिल	14.451	31598.10	7419.60	39017.70
आरबीएचएम जूट मिल	53.52	54297.20	30872.00	85169.20
अलीपुर में बंगला	0.147	-	2439.45	2439.45
कालिम्पोंग में गेस्ट हाउस	1.53	826.20	-	826.20
भूमि का कुल मूल्य		141804.50	65095.19	206899.69

एफ) हमें हमारे सत्यापन के लिए अचल परिसंपत्तियों के अधिकार-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथापि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तीन मिलों अर्थात् खरदाह, किन्निसन और एलेक्जेंड्रा की ज़मीन-जायदाद को तत्कालीन कंपनियों के नाम से दिखाया जाना जारी है। भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी, उत्तर 24 परगना, बारासात को अभ्यावेदन दिया गया है। 31 मार्च, 2019 तक अद्यतन लंबित है।

सी2 वस्तुसूचियां

जैसाकि पहले पैरा बी1 में दर्शाया गया है, पर्याप्त रिकॉर्ड के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वस्तुसूची का ढुलाई मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

सी3 अल्पावधि ऋण और अग्रिम

ए) सुरक्षा जमा राशि 174.66 लाख रुपये जिसे खरा समझा गया, को एक लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। चूंकि पार्टीवार विवरण, उम्रवार विश्लेषण और अन्य प्रासंगिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है इसलिए इस अवस्था में यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि उक्त जमाओं में से कितने संग्रहणीय हैं और इन खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बी) श्रोत पर आयकर कटौती के बारे में वार्षिक लेखा के टिप्पणी15 (डी) (i) का संदर्भ लें जिसमें 649.91 लाख रु. को खारा समझा गया है। यह जमा शेष राशि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का है। कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से कंपनी के पास कर निर्धारण आदेशों की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा 1990-91 से संबंधित 436.80 लाख रुपये की मांग कंपनी के नाम पर दिखाई गई है जिसके लिए कोई आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस मामले को आयकर विभाग के पास ले जाया गया है और इस राशि को प्रासंगिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

सी) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम का 1200 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के बारे में वार्षिक लेखा के 15(सी)(vi) का संदर्भ लें जिसका 31 मार्च, 2019 तक 1078.21 लाख रुपये बकाया है। चूंकि यह राशि कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से ऋण के संवितरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर चुकाया जाना अपेक्षित है इसलिए इस राशि को अल्पावधि ऋण और अग्रिम के बजाय दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

सी4 अन्य चालू परिसंपत्तियां

अन्य परिसंपत्तियों में 55.05 लाख रुपये का इनपुट जीएसटी केडिट शामिल है। यह संभावना नहीं है कि कंपनी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(4) के अनुसार सितंबर 2019 के अंदर जीएसटी इनपुट केडिट का उपयोग करने में सक्षम हो पाएगी। इस इनपुट केडिट के संबंध में लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सी5 दीर्घकालिक ऋण

ए) दीर्घाकालिक ऋण के लिए टिप्पणी 4 का अवलोकन करें। कंपनी ने भारत सरकार से असुरक्षित ऋण के विरूद्ध 20000 लाख रुपये चुकाए हैं और वर्तमान बकाया राशि 21571.41 लाख रुपये है। यह ऋण परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा सृजित निधि के माध्यम से चुकाया जाएगा।

बी) कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण लिया है। ऐसे ऋणों का उपयोग और चुकौती के निबंधन और शर्त के साथ ऋण अनुबंध हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जैसाकि टिप्पणी 4सी में दर्शाया गया है, 31 मार्च, 2019 तक कंपनी ऋण और मूलधन की संचित जमा शेष राशि और भुगतान न की ब्याज राशि 1481.20 लाख रुपये को चुकाने में कसूरवार है।

सी) केंद्र/राज्य सरकारों से ऋणों के लिए कोई भी जमा शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

सी6 व्यापार देय

ए) व्यापार देय से संबंधित टिप्पणी 7 का अवलोकन करें। इसमें 2,518.53 लाख रु की आपूर्ति के लिए लेनदार शामिल हैं जिसे ज्यादातर लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टीवार और बीजक वार विवरणों, उम्रवार विश्लेषण, जमा शेष राशि की पुष्टि और अन्य प्रासंगिक विवरणों के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इन देयताओं में से कितनी अंततः देय हैं।

बी) व्यापार देय से संबंधित अर्जित ब्याज में जमा शेष राशि 69.09 लाख रु दर्शाया गया है जिसे लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और अपेक्षित विवरण के अभाव में अंतिम देयता का पता नहीं लगाया जा सकता है।

सी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय राशि 148.56 लाख लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और कोई भी प्रासंगिक विवरण सत्यापन करने के लिए उपलब्ध नहीं है। आगे किसी भी देयताओं का पहचान नहीं किया गया है और लेखा-जोखा नहीं दिया गया है और अभी तक ब्याज के प्रावधान का भी पता नहीं लगाया गया है और ब्याज का प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है।

सी7 अन्य चालू देयताएं

ए) जैसाकि टिप्पणी 8 में दर्शाया गया है, सांविधिक देयताओं की राशि 4,260.02 लाख रु में क्षति की राशि 3,550.11 रु और ईएसआई एवं भविष्य निधि के प्राधिकारियों द्वारा दावा किया गया राशि 592.24 रु शामिल है। इन्हें लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दी गई है, कंपनी द्वारा बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार छूट मांगी गई है। तथापि छूट हेतु अनुमोदन को लंबित रखते हुए इन बकाया राशियों के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

बी) सांविधिक देयताओं में फ्रिंज लाभ कर 7.94 लाख रु, व्यवसाय कर पर 68.69 लाख रु का ब्याज और नगरपालिका कर पर 28.46 लाख रु का ब्याज भी शामिल है जो लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देयताएं अंततः देय हैं।

सी) भुगतान हेतु आयुक्त के असंवितरित दावे 40.29 लाख रु; कार्य-निष्पादन की गारंटी 57.47 लाख रु, सिक्योरिटी डिपॉजिट/ईएमडी 76.85 लाख रु और पार्टियों से अग्रिम 98.83 लाख रु. : पार्टीवार विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि उपर्युक्त राशियों जो लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है, में से कितनी राशि अंततः देय हैं।

डी) अन्य चालू देयताओं में अर्जित मजदूरी और वेतन 343.53 लाख रु. के लेनदार शामिल हैं। इसे लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दी गई है, इस आंकड़े में वीआरएस देय के खाते में 114.16 लाख रु., कर्मचारियों को वापस करने योग्य आयकर की राशि 3.87 लाख रु. और कर्मचारियों को वापस करने योग्य व्यवसाय कर के खाते में 8.49 लाख रु. शामिल हैं। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देयताएं अंततः देय हैं।

उपरोक्त मामलों के परिणामस्वरूप हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या तुलन-पत्र में इन राशियों का कोई भी समायोजन करना आवश्यक था और लाभ-हानि के विवरण पर इससे संबंधित प्रभाव था।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणतः भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों जिसमें इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 शामिल है, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रखरखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व उपयोग, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकापूर्ण है; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर देता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में हमने इस अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और इससे संबंधित विषय को लेखा में रखा है जो इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और इस अधिनियम की धारा 143(11) के तहत जारी आदेश के अंतर्गत लेखपरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा से संबंधित मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और क्या वित्तीय विवरणियां भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशि और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो लेखापरीक्षा के प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकगण द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन एवं वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे सशर्त लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एसएज के अनुसार लेखापरीक्षा के अंश के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के दुरुपयोग के जोखिमों की पहचान और आकलन करें चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्य-निष्पादन करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार साबित करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना है जो इस परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।
- उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखाकरण के लाभप्रद के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या कोई घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्रचितता से मौजूद है जो लाभप्रद संस्था के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता पर सार्थक संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामग्री अनिश्चितता से मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत विवरणों का प्रभाव है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर है जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे व समय एवं आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी विवरणी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(11) के शर्तानुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम संलग्नक ए में इस आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण दिये हैं।

2. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं, लागू होने तक, कि:

ए) हमने सशर्त राय के लिए आधार के पैरा में वर्णित मामलों को छोड़कर लेखापरीक्षा के उद्देश्य से वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

बी) सशर्त राय के लिए आधार के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय से लेखा के समुचित बही खाते जो कंपनी को विधिवत् रखना चाहिए, हमारे जांच के समय देखा गया कि उन्होंने उसे सही ढंग से रखे हैं।

सी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही खाते से मेल खाते हैं।

डी) सशर्त राय के लिए आधार के पैरा में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय से तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण का अनुपालन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

ई) हमारी राय से उपरोक्त सशर्त राय के लिए आधार के पैरा में वर्णित मामलों का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एफ) हमें सूचित किया गया है कि अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के शर्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं हैं।

जी) खातों और उससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित शर्त वही हैं जैसाकि उपरोक्त सशर्त राय के लिए आधार के पैरा में वर्णित हैं।

एच) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट संलग्नक-बी में देखें।

i) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय व जानकारी से और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए) पूर्ण विवरण के अभाव में हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के संपूर्ण प्रभाव का खुलासा किया है।

बी) कंपनी ने कोई दीर्घकालिक अनुबंध, अमौलिक अनुबंध सहित नहीं किया है जिससे पहले ही से हानि का अनुमान लगाया जा सके।

सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित होने की आवश्यकता पड़े।

3. इस अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों के प्रत्युत्तर में हम रिपोर्ट करते हैं:

i) कंपनी के पास उनकी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच ईआरपी लेखाकरण प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। प्रत्येक इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के लेखा का रखरखव लेखाकरण सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के खातों का समेकन एक अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है और लेखापरीक्षा जोखिम को बढ़ाती है।

ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के पास ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता द्वारा दिए गए छूट/कर्ज के बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि के कोई मामला नहीं है।

iii) ए) भारत सरकार ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में 48362 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी जैसाकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया है। उस राशि में से 31.3.2018 तक 41571.41 लाख रुपये दिये गये हैं। 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुरुप 20000 लाख रुपये चुका दिये। शेष राशि दीर्घकालिक उधार के रूप में पड़ी है।

बी) कंपनी ने विगत वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से 281.48 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है। कंपनी ने 31 मार्च 1994 से ऋण और ब्याज को चुकाने में चूक की है। 31.3.2019 तक ऋण और न चुकाया गया ब्याज की संचित शेष राशि 1481.20 लाख रुपये है। ऋण के दस्तावेज एवं ऋण के निबंधन और शर्ते हमें उपलब्ध नहीं कराई गई।

सी) जैसाकि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 में प्रकट किया गया है, कंपनी ने 1988-89 में बिहार सरकार और इजिरा (आईजेआईआरए) से अनुदान और 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से सब्सिडी प्राप्त की थी। इस अनुदान/सब्सिडी के विस्तृत कागजात और इस अनुदान में से अर्जित परिसंपत्तियों को हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।

कृते गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.301028ई

अर्नब देब
साझेदार
सदस्यता संख्याः 062018
यूडीआईएनः19062018एएएएसीटी2207

कोलकाता
दिनांकः 20.09.2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक-ए

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को भेजे गये उस तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में दर्शाया गया।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. ए. कंपनी ने अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड का रखरखाव किया है जिसमें अचल संपत्तियों की पहचान, स्थान/स्थिति, खरीद का वर्ष, पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, उपयोगी जीवन, हानि और अवयवों के पर्याप्त विवरणों का अभाव है।

   बी. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा किसी भी समय अचल परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। हालांकि, विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार के उपक्रम (फेरो स्कैप निगम लिमिटेड) द्वारा यूनियन मिल को छोड़कर कंपनी के 5(पांच) मिलों के संयंत्र और मशीनरी का प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन किये गये थे। उनके रिपोर्ट के अनुसार नेशनल और एलेक्जेंड्रा इकाइयों में संयंत्र और मशीनरी अत्यधिक क्षतिग्रस्त एवं सेवारहित हालत में थे और आगे उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं नगण्य हैं। खारदाह और आरबीएचएम कटिहार की इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और सेवारहित हालत में थे और आगे उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं सौम्य हैं। किन्निसन यूनिट में संयंत्र और मशीनरी मामूली स्र्प से जंग लगी थी और सेवारहित हालत में थी और आगे इसके उपयोग/मरम्मत करने की संभावनाएं उचित है। तथापि निश्चित परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ प्रत्यक्ष सत्यापित परिसंपत्तियों का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए तुलन-पत्र की तिथि तक विसंगतियां यदि कुछ हो तो उसे अभिनिश्चित एवं लेखाबद्ध नहीं किया जा सका है।

   सी. हमें हमारे सत्यापन के लिए अचल परिसंपत्तियों के अधिकार-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथापि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तीन मिलों अर्थात् खारदाह, किन्निसन और एलेक्जेंड्रा की ज़मीन-जायदाद को तत्कालीन कंपनियों के नाम से दिखाया जाना जारी है। भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी, उत्तर 24 परगना, बारासात को अभ्यावेदन दिया गया है। 31 मार्च, 2019 तक अद्यतन लंबित है।

ii). कंपनी के किन्निसन, खारदाह और आरबीएचएम (कटिहार) इकाइयों में बाहरी स्टॉक लेखापरीक्षक द्वारा वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हालाँकि अद्यतित वस्तुसूची अभिलेखों की अनुपस्थिति में स्टॉक रिकॉर्ड के साथ सत्यापित वस्तुसूचियों की कोई तुलना नहीं की जा सकी है और इस सत्यापन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख तक के वस्तुसूची का मूल्यांकन किया गया है।

अधिकांश वस्तुसूचितयों को लंबे समय से आगे बढ़ाया गया है और चालू वित्त वर्ष एवं विगत वित्त वर्ष के दौरान वस्तुसूची की कोई गतिविधि नहीं है। इसके अलावा वस्तुसूची का वर्षवार विश्लेषण के साथ-साथ अप्रचलित, गैर-गतिविधि और गैर विपणन योग्य वस्तुसूचियों की पहचान नहीं की गयी है। वस्तुसूचियों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि क्या वस्तुसूची का ढुलाई मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

iii). ए) कंपनी ने विगत वर्षों में अपने सहायक कंपनी को 4668.95 लाख स्र्पये असुरक्षित ऋण प्रदान किया था जिसे प्रबंधन द्वारा संदेहास्पद माना गया है और पूर्ण प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी है। इसकी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के निबंधन और शर्तें हमें उपलब्ध नहीं कराई गई थी और इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या यह ऋण कंपनी के हित के लिए पूर्वाग्रही है। सहायक कंपनी को दी गई इस ऋण को छोड़कर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखरखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदार या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।

   बी) कंपनी ब्याज चार्ज कर रही है और इस राशि का पूरा प्रावधान भी कर रही है क्योंकि यह राशि वसूली योग्य नहीं है।

सी) मूलधन और ब्याज दोनों ही का ऋण 90 दिनों से अधिक का बकाया है। विगत वर्षों में ऋण की वसूली नहीं हुई है। चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है इसलिए ऋण की राशि और ब्याज की वसूली का कोई वास्तविक मौका नहीं है।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

v. अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के अंदर और इसके अंतर्गत बने नियमों को अधिसूचित होने तक कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2019 तक कोई बिना दावे की जमा राशि नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. भारत के केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी को अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत अपने उत्पादों के लागत रिकॉर्ड का रखरखाव करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी लागत लेखाकरण रिकार्डों को हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और तदनुसार हम यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी द्वारा ऐसे निर्धारित लेखों और रिकार्डों को बनाए और रखरखाव किये गये हैं।

vii.ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारियों का राज्य बीमा, आयकर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, विक्रय कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया राशि के संबंध में 31 मार्च, 2019 तक बकाया राशि के रूप में कोई अविवादित राशि देय नहीं है जो देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए है।

बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार विवाद होने के कारण 31 मार्च, 2019 तक निम्नलिखित सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं की गई है:

सांविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.10	बहुत पुराना	उप आयुक्त, सेवा कर
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर 2003	सीएसटी	220.18	2011-12 से 2015-16 तक	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित पुराने सांविधिक बकाया राशि जो विवादित होगा वह 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के बही में बकाया रहेंगे जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है:

ए) भविष्य निधि 595.22 लाख रूपये

बी) कर्मचारियों का राज्य बीमा 3,550.29 लाख रुपये

सी) व्यवसाय कर 69.40 लाख रुपये

डी) नगरपालिका कर 28.47 लाख रूपये

ई) फ्रिंज लाभ कर 7.94 लाख रूपये

एफ) वैट/सीएसटी 8.99 लाख रूपये

viii) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार से 1481.20 लाख रुपये (उसका ब्याज 1199.72 लाख सहित) की ऋण चुकाने में चूक की है जो समायोजन के अधीन है जैसाकि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 4 के अतिरिक्त सूचना में दर्शाया गया है।

ix) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, फिर सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई रूपया नहीं उठाया है। कंपनी ने विगत वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया था। हालाँकि जिन विनियम और शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए ऐसे ऋण स्वीकृत किए गए थे वे हमें उपलब्ध नहीं थे। इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

x) जहां तक हमें जानकारी है और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान हम न तो कंपनी द्वारा सामग्री धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी को देखा या रिपोर्ट किया है न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के शर्तानुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची-V के साथ धारा 197 के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xii) कंपनी इस अधिनियम की धारा 406 के प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित निधी कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है।

xiv) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है या योग्य परिवर्तनीय डिबेंचर को पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कृते गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्याः 301028ई

अर्नब देब
साझेदार
सदस्यता संख्याः 062018
यूडीआईएन:19062018 एएएएसीटी 2207

कोलकाता

दिनांकः 20.09.2019

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर उस तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक-बी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के रूप में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड ('कंपनी') की 31 मार्च 2019 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का स्थापना और रखरखाव करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखाकरण रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वासनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना। हमने अपने लेखापरीक्षा का संचालन आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा ('मार्गदर्शन नोट') और लेखाकरण मानकों के दिशा-निर्देश नोट और कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 143(10) के तहत निर्धारित जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा करने के लिए लागू होता है, के अनुसार किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं कार्य-निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखरखाव किया गया है और ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं और उसके परिचालन की प्रभावशीलता शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना जो भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी सशर्त लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता और आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को उचित ब्यौरे, सटीक और सही रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन का रिकॉर्ड किया जाता है जैसाकि आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति

और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत से किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा छोखाछड़ी की वजह से गलत विवरणों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिग़ड सकता है। इसलिए हमारी राय आश्वासन नहीं देती है, उदाहरण के लिए कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

सशर्त राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को आधरित मानदंड अथवा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में दर्शाए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित नहीं किया है जैसे नियंत्रण पर्यावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियां, सूचना प्रणाली और संचार और निगरानी। बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी के लिए किसी भी जोखिम प्रबंधन नीति का संकेत नहीं है जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31.3.2019 तक कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त है जैसाकि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में दर्शाया गया है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई सशर्त राय पर विचार किया है और योग्यता कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

कृते गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्याः 301028ई

अर्नब देब
साझेदार
सदस्यता संख्याः 062018
यूडीआईएन:19062018 एएएएसीटी 2207

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 20.09.2019

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

तुलन पत्र

31 मार्च 2019

31 मार्च 2019 तक का तुलन पत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2019 तक	
(ए) इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयर धारकों की निधि:					
(क) शेयर पूंजी	2	5,579.74		5,579.74	
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	3	(27,777.24)	(22,197.50)	(27,923.07)	(22,343.33)**(2)**
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधार	4	23,052.61		43,020.23	
(ख) दीर्घावधि प्रावधान	5	23.35	23,075.96	23.35	43,043.58
(3) चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधार	6	0.00		0.00	
(ख) व्यापारिक देय	7	2,587.62		2,549.96	
(ग) अन्य चालू देतयताएं	8	5,132.96		5,237.26	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	189.08	7,909.66	189.08	7,976.30
कुल			8,788.12		28,676.55
(बी) परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
(i) प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	1,003.60		1,056.26	
(ii) पूंजी कार्य प्रगति पर	10	-	1,003.60	17.48	1,073.74
(ख) गैर चालू निवेश	11	-	-	-	-
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) वस्तुसूची	12	627.31		627.31	
(ख) व्यापारिक प्राप्य	13	-		71.27	
(ग) नकद एवं नकद समतुल्य	14	5,188.30		24,815.17	
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	1,903.19		1,169.25	
(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	65.72		897.05	
(च) आई एस डी एस परियोजना	17	-		22.76	
			7,784.52		27,602.81
कुल			**8,788.12**		**28,676.55**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1
हमारे उस तिथि के अनुसार टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है 1-26

कृते एवं बोर्ड की ओर से

कृते गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 301028ई

श्री विजय कुमार सिंह
निदेशक

(श्री संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(अर्नब देब)
साझेदार
सदस्यता सं. 062018

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव

दिनांक: 20.09.2019
स्थान: कोलकाता

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरण

(रु. लाख में)

		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	आय			
1	परिचालन से राजस्व	18	-	-
2	अन्य आय	19	1,375.76	1,823.83
3	**कुल राजस्व (1 + 2)**		**1,375.76**	**1,823.83**
4	**व्यय**			
	(क) खपत किये गये कच्चे माल की लागत	20	-	-
	(ख) निर्मित वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर	21	-	-
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	22	83.98	119.02
	(घ) वित्त लागत	23	32.39	32.40
	(ड़) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	70.14	65.19
	(च) अन्य व्यय	24	1,043.32	687.81
	कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ड़+च)		**1,229.83**	**904.42**
5	आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (3-4)		145.93	919.41
			145.93	919.41
6	आपवादिक मदें	25	-	-
7	असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (5+6)		145.93	919.41
8	आपवादिक मदें	26	-	-
9	कर से पहले लाभ/(हानि) (7-8)		145.93	919.41
10	कर खर्च			
	(क) वर्तमान कर		-	-
	(ख) आस्थिगित कर		-	-
11	वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		145.93	919.41
12	प्रति इक्वीटी शेयर उपार्जन			
	(रु. में प्रति इक्वीटी शेयर रु. 1,000/-)			
	मूल (रु.)	27	26.15	164.78
	मिश्रित (रु.)	27	26.15	164.78

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1
हमारे उस तिथि के अनुसार टिप्पणियां 1-26 कृते एवं बोर्ड की ओर से
वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 301028ई

(अर्नब देब)
साझेदार
सदस्यता सं. 062018

दिनांक: 20.09.2019
स्थानः कोलकाता

श्री विजय कुमार सिंह
निदेशक

(श्री संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए.	**परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**				
	असाधारण मद एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		145.93		919.41
	समायोजन :				
	वित्तीय लागत	32.39		32.39	
	मूल्यह्रास	70.14		65.19	
	ब्याज आय	(1,262.04)		(1,726.00)	
	सरकारी अनुदान (आरक्षित) हेतु समायोजन	(0.10)	(1,159.61)	(0.10)	(1,628.52)
	कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(1,013.68)		(709.11)
	वस्तुसूची में परिवर्तन	-		(0.10)	
	व्यापारिक प्राप्य में कमी	71.27		85.24	
	अल्प ऋण एवं अग्रिम मं बढ़ोत्तरी	(733.94)		(181.69)	
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी	831.33		105.41	
	व्यापारिक देय में बढ़ोत्तरी	37.65		(1.67)	
	अन्य वर्तमान देयताओं में कमी	(104.30)		25.42	
	अल्पावधि उधार में कमी	(0.00)		(0.58)	
	आईएसडीएस निधि व्यय	22.76		(0.03)	
	कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से शुद्ध नकद प्रवाह		124.77		32.09
	परिचालन से नकद प्रवाह		(888.91)		(677.02)
	परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (ए)		(888.91)		(677.02)
बी.	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**				
	सावधि जमा राशि भुनाना	16,539.82		(1,314.82)	
	निश्चित परिसंपत्तियों की खरीद	-		(0.44)	
	ब्याज आय	1,262.04		1,726.00	
	निवेश क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (बी)		17,801.86		410.74
सी.	**वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**				
	आवधिक उधार को चुकाना	(20,000.00)			
	वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद		(20,000.00)		-
	नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी) (ए+बी+सी)		(3,087.05)		(266.28)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		3,894.71		4,160.99
	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		807.66		3,894.71

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह (जारी)

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
	नकद एवं नकद के समतुल्य का अवयव :				
ए)	बैंकों में जमा शेष राशि				
	(i) चालू खाता में	176.42		199.93	
	(ii) सावधि जमा खाता में	631.10		3,694.41	
	(3 महीने से कम की परिपक्वता)				
	(iii) मार्जिन रुपये	3.10	810.62	3.10	3,897.44
	बाद: प्रावधान		3.10		3.10
			807.52		3,894.34
बी)	लेन-देन में नकदी		-		-
सी)	हाथ में नकदी		0.14		0.37
			807.66		3,894.71

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
हमारे उस तिथि के अनुसार टिप्पणियां
वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते एवं बोर्ड की ओर से

कृते गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 301028ई

श्री विजय कुमार सिंह
निदेशक

(श्री संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(अर्नब देब)
साझेदार
सदस्यता सं. 062018

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव

दिनांक: 20.09.2019
स्थान: कोलकाता

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

यह वित्तीय विवरण साधारणतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है एवं कंपनी लेखाकरण की मर्केन्टाइल प्रणाली का अनुसरण करता है तथा आय एवं व्यय को वास्तविक आंकड़ों के आधार मान्यता देता है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम 2014 (यथा संशोधित) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों जहां तक लागू है, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया है।

1.2 निश्चित परिसंपत्तियां:

1.2.1 निश्चित परिसंपत्तियां का मूल्यांकन राष्ट्रीयकरण की तारीख तक के लागत/बही मूल्य पर किया गया है और परिसंपत्तियों के खरीद की लागत उसके बाद किया गया है। कुछ निश्चित परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन 1997-98 में किये गये थे।

1.2.2 **मूल्यह्रास :**

निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रभार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार लिखित मूल्य पर किया गया है। कंपनी ने अनुसूची-II के अनुसार अपने वर्तमान निश्चित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का पूनर्मूल्यांकन किया है तथा लिखित मूल्य विधि पर मूल्यह्रास की नई दर प्राप्त की है ताकि शेष उपयोगी जीवन के ऊपर परिसंपित्तियों का मूल्यह्रास किया जा सके। चूंकि अधिकांश परिसंपत्तियां बहुत पहले खरीदी गई है तथा उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए सिर्फ 5% अवशिष्ट मूल्य बही में दिखाई पड़ता है और उस निश्चित परिसंपत्तियों पर फिर मूल्यह्रास नहीं किया गया है। कंपनी अधिग्रहण के वर्ष में रु 5,000/- तक की लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्ति को पूरी तरह से मूल्यह्रास कर देगी।

1.3 विनिवेश

विनिवेश का मूल्यांकन राष्ट्रीयकरण की तारीख तक के लागत/बही मूल्य पर किया गया है और विनिवेश के खरीद की लागत उसके बाद किया गया है।

1.4 स्टॉक का मूल्यांकन:

1.4.1 कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, एफआईएफओ के आधार पर निर्धारित किया गया है अथवा बाजार मूल्य पर किया गया है, इसमें से जो भी कम हो।

1.4.2 निर्मित वस्तुओं का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, किया गया है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत एवं लागू निर्माण करने में आनेवाले बंधे खर्च शामिल हैं।

1.4.3 प्रगति पर कार्य का मूल्यांकन एकरूपता के आधार पर प्रसंस्करण के विशिष्ट चरण की प्रतिशतता के आधार पर आकलित लागत पर किया गया है। यद्यिप कोई परिवर्तन लागत शामिल नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ठेकेदारों को भुगतान करने की बाध्यता पैक किए गए उत्पादन को पूर्ण करने के बाद उठती है तथा संविदा/अनुबंध के प्रावधान के अनुसार अर्धनिर्मित वस्तुओं के लिए देयता पर कोई विचार नहीं किया गया है।

1.4.4 भंडार एवं अतिरिक्त सामानों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।

1.5 राजस्व अभिज्ञान

महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एंड डी) को विक्रय को वस्तुओं की आपूर्ति के आधार पर लेखा में दर्शाया गया है तथा अन्य मामलों के लिए प्रदत्त आपूर्ति आदेश प्राप्ति पर किया गया है। ब्याज आय को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लेखा में दर्शाया गया है।

1.6 **आकस्मिक एवं अन्य देयताएं**

विभिन्न सरकार/राजस्व प्राधिकारियों से प्राप्त कारण बताओ नोटिस को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं समझा गया है। जबकि ऐसे कारण बताओ नोटिसों के विरूद्ध मांग की गई है, कंपनी के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद इन मांगों का या तो भुगतान किया गया है या देयता के रूप में समझा गया है यदि कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है और आकस्मिक देयता के रूप में समझा गया है यदि कंपनी द्वारा विवादित समझा गया है।

1.7 **सेवानिवृत्ति लाभ**

1.7.1 ग्रेच्युटीः तुलना पत्र की तारीख तक पंजी में दर्ज कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की गई है।

1.7.2 छुट्टी भुनाने का लाभः तुलन पत्र की तारीख तक छुट्टी भुनाने के लाभ हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की गई है।

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी **(रु. लाख में)**

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
प्राधिकृत		
1,000 रु. का प्रत्येक शेयर की 600000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता		
1,000 रु. का प्रत्येक शेयर की 557974 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	**5579.74**	**5579.74**

अतिरिक्त सूचना

क) कुल 557974 शेयर में से रु.1000/- का प्रत्येक शेयर की 366000 इक्विटी शेयर का आवंटन पूर्णरूपेण चुकता शेयर के रूप में राष्ट्रीयकरण समायोजन लेखा के विरूद्ध किया गया है जो नकद में प्राप्त किए गए का भुगतान किये बिना है।

ख) वर्ष के प्रारंभ एवं समाप्ति तक बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/प्रचलन नहीं हुआ है।

ग) कंपनी के पास रु.1000/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का सिर्फ एक ही वर्ग है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश हेतु समान अधिकार है।

घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के शेयरधारकगणः

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
शेयर धारकों का नाम	**शेयरों की संख्या**	**(%)**	**शेयरों की संख्या**	**(%)**
माननीय भारत के राष्ट्रपति	557972	99.99	557972	99.99

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-3 रिजर्व एवं अधिशेष

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
सरकारी अनुदान के विरुद्ध पूंजी रिजर्व				
प्रारंभिक जमा शेष राशि	1.19		1.29	
योग: वर्ष के दौरान योग/हस्तांतरित	-		-	
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	0.10		0.10	
अंतिम जमा शेष राशि		1.09		1.19
पुनर्मूल्यांकन रिजर्व				
प्रारंभिक जमा शेष राशि	441.81		441.81	
योग: वर्ष के दौरान योग	-		-	
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	-		-	
अंतिम जमा शेष राशि		441.81		441.81
लाभ-हानि के विवरण में (कमी)				
प्रारंभिक जमा शेष राशि	(28,366.07)		(29,285.48)	
लाभ-हानि के विवरण में जमा शेष राशि	145.93		919.41	
अंतिम जमा शेष राशि		(28,220.14)		(28,366.07)
कुल		**(27,777.24)**		**(27,923.07)**

अतिरिक्त सूचना

पूंजी रिजर्व

क) आरबीएचएम के संबंध में बिहार सरकार से वर्ष 1988-89 में निश्चित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु150 लाख के विरुद्ध जो उक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद है।	0.97	1.17
ख) यूनिट किन्निसन के संबंध में आईजेआईआरए से वर्ष 1988-89 में यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु5.44 लाख के विरुद्ध जो उपरोक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपित्तयों पर मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद है।	-	-
ग) यूनिट किन्निसन के सबंध में प. बं. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वर्ष 1982-83 में कैप्टिव डीजल पावर जनरेटिंग सेट की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान राशि रु6.97 राशि में से आर्थिक सहायता के रूप में जमा शेष राशि रु0.01 लाख जो अधिग्रहण की तारीख से मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद है (विगत वर्ष रु0.01 लाख)।	0.01	0.01
घ) यूनिट आरबीएचएम के संबंध में राष्ट्रीयकरण की तारीख तक निवेश का बाजार मूल्य एवं बही मूल्य के बीच अंतर।	0.11	0.11
पूनर्मूल्यांकन रिजर्व	1.09	1.19
31.03.1993 तक के पूनर्मूल्यांकित राशि (वर्ष 1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) एवं बही मूल्य के बीच अंतर जो यूनिट आरबीएचएम से संबंधित कटिहार में स्थित भूमि तथा कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज में स्थित भूमि एवं भवन के संबंध में है (संदर्भ: निश्चित परिसंपत्तियों से संबंधित टिप्पणी सं.10 में अतिरिक्त सूचना सं.5 एवं 6)।	441.81	441.81
	441.81	**441.81**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-4 दीर्घावधि उधार

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
क)	**अन्य ऋण और पेशगियां (असुरक्षित)**		
	i) भारत सरकार से	21,571.41	41,571.41
	ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
	iii) पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर उपार्जित ब्याज एवं बकाया	1,199.72	1,167.34
	कुल	**23,052.61**	**43,020.23**

अतिरिक्त सूचना

क) भारत सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त ऋण आर्थिक मामले से संबंधित कैबिनेट समिति (सीसीईए) एवं बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्संरचना/पूनर्जीविता योजना के अनुसार ब्याज रहित है। 2018-19 के दौरान कंपनी ने बंद से संबंधित अधिसूचना के शर्तानुसार 20000 लाख रु. वापस कर दिया है।

ख) कंपनी ने भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त उपरोक्त ऋण के लिए कोई प्रतिभूति अथवा गारंटी नहीं दी है।

ग) कंपनी ने निम्नलिखित के लिए ऋण एवं ब्याज को वापस करने में चूक की है।

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण :				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	1,199.72	31.03.1994 से	1,167.34
कुल		**1,481.20**		**1,448.82**

कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित के लिए औपचारिक सहमति अभी भी प्राप्त करना शेष है:

i) उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु प्राप्ति योग्य प्रतिपूर्ति के विरूद्ध उपरोक्त मूलधन राशि रु281.48 लाख का समायोजन जैसाकि निश्चित परिसंपत्तियों पर टिप्पणी संख्या 10 में अतिरिक्त सूचना 3 में दर्शाया गया है एवं

ii) बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार साफ्ट ऋण में उपरोक्त ब्याज की राशि रु1199.72 लाख में शामिल उपार्जित ब्याज रु922 लाख का रूपांतरण।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-5 दीर्घावधि प्रावधान

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान	11.83	11.83
ii) ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	11.52	11.52
कुल	**23.35**	**23.35**

अतिरिक्त सूचना

1. ग्रेच्युटी : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारीगण संविदात्मक आधार पर हैं।
2. छुट्टी भुनाना : उपरोक्त में दर्शाये गये आधार पर छुट्टी भुनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मगर जब कभी भुगतान होता है तो वास्तविक भुगतान के प्रभार को राजस्व खाता में दर्शाया जाता है।

टिप्पणी-6 अल्पावधि उधार

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
इलाहाबाद बैंक के साथ ओवर ड्राफ्ट लेखा (आवधिक जमा के विरूद्ध सुरक्षित)	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी - 7 व्यापारिक देय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
i) आपूर्ति हेतु ऋणदाता	2,518.53	2,480.87
ii) व्यापारिक देय पर अर्जित ब्याज	69.09	69.09
कुल	**2,587.62**	**2,549.96**

अतिरिक्त सूचना

i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण		
ए) वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूलधन राशि	55.06	55.06
बी) विगत वर्ष के अंत तक बकाया एवं देय ब्याज	93.50	93.50
कुल	**148.56**	**148.56**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-8 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
i)	सांविधिक प्रेषण (पीएफ एवं ईएसआईसी, कर रोकना, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ पर ब्याज आदि में अंशदान)	4,260.02	4,254.69
ii)	भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावे	40.29	40.29
iii)	कार्य-निष्पादन गारंटी	57.47	57.47
iv)	प्रतिभुति जमा/ई एम डी	76.85	77.58
v)	आई एस डी एस निधि (आई एस डी एस परियोजना हेतु उपयोग के लिए लंबित)	-	144.00
vi)	आईएसडीएस निधि पर ब्याज हेतु प्रावधान	19.02	-
vii)	पार्टियों से अग्रिम	98.83	99.54
viii)	संपत्ति कर/नगरपालिका कर एवं सेवा प्रभार	236.95	224.94
ix)	उपार्जित मजदूरी एवं वेतन हेतु ऋणदातागण	343.53	338.75
	कुल	**5,132.96**	**5,237.26**

अतिरिक्त सूचना

ए) सांविधिक देयताओं में ईएसआई निगम एवं पीएफ आयुक्त द्वारा दावा की गई क्षति राशि क्रमशः रु3550.11 लाख (वि.व. रु3550.11 लाख) एवं रु592.24 लाख (वि.व. रु592.24 लाख) सम्मिलित है जिसका बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारी से माफी हेतु अनुरोध किया गया है।

बी) सांविधिक प्रेषण में लंबे समय का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की राशि रु7.94 लाख (वि.व. रु7.94 लाख), वृत्तिक कर पर ब्याज की राशि रु68.69 लाख (वि.व. रु68.69 लाख) और नगरपालिका कर पर ब्याज की राशि रु28.46 लाख (वि.व. रु28.46 लाख) भी शामिल है।

सी) संपत्ति कर के.एम.सी द्वारा परिसर 5, अलीपुर रोड, कोलकाता के लिए की गई मांग दर्शाता है जो न्यायाधीन है। जिसका ब्रेकअप निम्न प्रकार है।

(रु. लाख में)

	मूलधन	दंड	ब्याज	कुल
	52.88	7.21	38.58	98.67
	48.81	7.21	38.58	94.60

डी) संपत्ति कर में अन्य यूनिटों के लिए रु138.28 लाख (विगत वर्ष रु130.33 लाख) भी शामिल है।

ई) ऋणदातागण में उपार्जित मजदूर एवं वेतन के लिए शामिलः

ए) वी आर एस देय	114.16	114.16
बी) कर्मचारी को वापसी योग्य आयकर	3.85	3.87
सी) कर्मचारी को वापसी योग्य वृत्तिक कर	8.49	8.49
उपरोक्त आंकड़े अभी भी अपेक्षित समाधान एवं समायोजन के अधीन है, यदि कोई लेखा में हो तो समाधान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात अग्रेषित किया जाएगा।		
कुल	**126.50**	**126.52**

टिप्पणी-9 अल्पकालिक प्रावधान

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
आकस्मिकता हेतु प्रावधान (समाधान होने के उपरांत कामगारों को देय ग्रेच्युटी के खाते में)	189.08	189.08
कुल	**189.08**	**189.08**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-10 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

मूर्त परिसंपत्तियां	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	31 मार्च, 2018 तक	योग (+)	कटौती (-)	**31 मार्च, 2019 तक**	**31 मार्च, 2018 तक**	वर्ष हेतु (+)	समायोजन (-)	**31 मार्च, 2019 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**	**31 मार्च, 2018 तक**
(क) भूमि - पूर्ण स्वामित्व	605.59	-	-	605.59	-	-	-	-	605.59	605.59
(ख) भवन	1,003.41	-	-	1,003.41	801.44	17.21	-	818.65	184.76	201.97
(ग) संयत्र एवं उपकरण	3,712.69	17.48	-	3,730.18	3,476.95	51.09	-	3,528.04	202.14	235.74
(घ) फर्निचर एवं फिक्सचर	88.09	-	-	88.09	81.89	0.39	-	82.28	5.81	6.20
(ङ) वाहन	47.21	-	-	47.21	42.22	1.35	-	43.57	3.64	4.99
(च) कंप्यूटर	67.90	-	-	67.90	66.18	0.10	-	66.28	1.62	1.72
(छ) रेलवे साइडिंग	1.55	-	-	1.55	1.51	-	-	1.51	0.04	0.04
कुल - मूर्त परिसंपत्तियां (ए)	5,526.44	17.48	-	5,543.92	4,470.18	70.14	-	4,540.33	1,003.60	1,056.26
विगत वर्ष (ए)	5,526.00	0.44	-	5,526.44	4,404.99	65.19	-	4,470.18	1,056.26	1,121.01
पूंजी कार्य प्रगति पर	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
बाद : प्रावधान	(24.86)		-	(24.86)				-	(24.86)	(24.86)
कुल पूंजी कार्य प्रगति पर (बी)	0.00	-	-	0.00	-	-		-	0.00	0.00
विगत वर्ष (बी)	17.48	-	-	17.48					17.48	17.48
कुल निश्चित परिसंपत्तियां (ए+बी)	5,526.44	17.48	-	5,543.92	4,470.18	70.14	-	4,540.33	1,003.60	1,056.26
विगत वर्ष (ए+बी)	5,543.48	0.44	-	5,543.92	4,404.99	65.19	-	4,470.18	1,073.74	1,138.49

टिप्पणी-10 निश्चित परिसंपत्तियां (जारी)
अतिरिक्त सूचना

1. भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद करने की अनुमति दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार डीपीई द्वारा जारी मार्गदर्शन का.ज्ञा.सं.डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग-1) दिनांक 14.06.2018 के अनुसार बंद की जानी है। एनजेएमसी लि. के बोर्ड के निदेशगण के अनुमोदन से संयंत्र एवं मशीनरी आदि का निपटान करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लि. को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और मेसर्स एमएसटीसी लि. को ई-निलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बंद करने की प्रक्रिया डीपीई मार्गदर्शन दिनांक 14.06.2018 के अनुसार प्रगति पर है।

2. संयंत्र एवं उपकरणों में यूनिट एलेकजेंड्रा से संबंधित 8 हेराक्ल मशीनें शामिल है जो राष्ट्रीयकरण की तिथि से तृतीय पक्ष के पास पड़ा है।

3. भूमि में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम लि. के टीटागढ़ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिगृहित खड़दाह यूनिट की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है। प्रतिपूर्ति राशि की प्राप्ति पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

4. जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि. में दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को निहित निश्चित परिसंपत्तियों में यूनिट एलेकजेंड्रा से संबंधित 5, अलीपुर रोड, कलकत्ता स्थित भूमि एवं भवन शामिल है परंतु यह कंपनी के कब्जे में नहीं है। इस संपत्ति को औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 [आई(डी एवं आर) अधिनियम, 1951] के अंतर्गत एलेकजेंड्रा जूट मिल के प्रबंधन द्वारा ग्रहण किये जाने की तिथि से पूर्व गिरवी रखा गया था तथा इसे ग्रहण करने की तारीख को यह 'विक्रय करार' के अंतर्गत था। हालांकि विक्रय करार का समापन नहीं हुआ था तथा प्रबंधन द्वारा औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के अंतर्गत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में चुनौती दी गई थी। दिनांक 8 सितंबर 1981 को हाई कोर्ट द्वारा अंततः निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था तथा निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में अगली सभी कार्यवाहियां स्थगित रहेगी। इसके उपरांत गिरवीग्राही द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में एक रीट पिटिशन दायर किया गया था जिसमें आई(डी एवं आर) अधिनियम 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई थी। तत्पश्चात् कपंनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 20.12.1980 को एलेकजेंड्रा जूट मिल लि. को राष्ट्रीयकृत किया गया था तथा परिसंपत्तियां सभी बाधाओं से मुक्त इस निगम में निहित हो गई थी। इसके उपरांत गिरवीग्राही द्वारा एक और रीट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर किया गया जिसमें जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इसकी वैधता को चुनौती दी गई। औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए गिरवीग्राही द्वारा दायर रीट पिटिशन को माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया तथा इसके उपरांत यथा स्थिति का एक अंतरिम आदेश माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता द्वारा पास किया गया।

   स्थायी काउंसिल, मेसर्स फॉक्स एंड मंडल का यह राय है कि परिसर सं. 5, अलीपुर, कोलकाता केंद्र सरकार में निहित है जिसे पुनः जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 6 के अंतर्गत एनजेएमसी में निहित कर दिया गया एवं एनजेएमसी सभी बंधकों या ग्रहणाधिकार या बाधाओं से मुक्त उक्त संपत्ति का स्वामी है, तथापि वस्त्र मंत्रालय के अनुदेश पर एनजेएमसी द्वारा राय मांगी गई है, कृपया उनके पत्र एफ सं.17/16/2006-जेई दिनांक 24/12/2007 का अवलोकन करें जिसमें वस्त्र मंत्रालय द्वारा एनजेएमसी को इस मुद्दे का विधिक दृष्टिकोण से जांच करने को कहा गया है। तदनुसार एनजेएमसी ने इस विषय को विधि, न्याय तथा कंपनी-कार्य के पास भेजा एवं विधि, न्याय तथा कंपनी-कार्य व बैरिस्टर श्री अनिंदय कुमार मित्रा से प्राप्त पत्र को एमओटी को अपने पत्र संख्या एनजेएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के द्वारा अग्रेषित किया गया साथ-ही-साथ उसकी एक प्रति बैरिस्टर श्री अनिंदय कुमार मित्रा को भी अग्रेषित किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने अपने पत्र सं.17/01/2006-जेई दिनांक 30 अप्रैल 2008 के माध्यम से कहा है कि श्री अनिंद्य कुमार मित्रा, बैरिस्टर एवं वरिष्ठ एडवोकेट और विधि तथा न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय, कोलकाता की राय है कि परिसर सं.5, अलीपुर रोड का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार/एनजेएमसी में निहित नहीं समझा जा सकता है। दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी परिषद् ने भिन्न राय व्यक्त की है। वस्त्र मंत्रालय ने फिर निदेश दिया है कि एनजेएमसी एवं भारत संघ (वस्त्र मंत्रालय) की ओर से प्रत्युत्तर स्वरूप उपरोक्त अधिसंख्यक विधिक राय के आधार पर माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता में ऐफीडेविटों को संशोधित किया जाए जिसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय, कोलकाता की राय शामिल है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति

पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संपत्ति राष्ट्रीयकरण करने के दौरान एलेकजेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। मगर ऐफीडेविट दर्ज नहीं किए गए थे।

2019 में 1981 की रिट याचिका 5292 को बहाल किया गया, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हो चुका है और सुनवाई होने वाला है।

चूंकि यह विषय न्यायाधीन है, इसलिए लेखा में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

5. आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसलटेंट्स प्रा. लि. के 31.03.1993 तक के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 21.06.2000 को बोर्ड के निदेशकगण के अनुमोदन से वर्ष 1999-2000 में यूनिट आरबीएचएम से संबंधित 96 बीघा 15 कट्ठा एवं 5 धुर भूमि का मूल्य रु. 373.02 लाख पूंजीकृत किया गया है।

6. आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसलटेंट्स प्रा. लि. के 31.03.1993 तक के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यूनिट आरबीएचएम की कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज स्थित भूमि का मूल्य जिसमें रु41.55 लाख का 4.03 एकड़ भूमि शामिल है एवं भवन का मूल्य जिसमें रु27.24 लाख का भवन शामिल है, का विधिवत अनुमोदन 24 दिसम्बर, 1997 को बोर्ड के निदेशकगण द्वारा किया गया है और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया है।

7. वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी द्वारा भूमि का टाइटिल डीड जिसे आईआईबीआई के पास गिरवी रखा गया था, प्राप्त किया गया। टाइटिल डीड में से कुछ फटे एवं संदिग्ध अवस्था में हैं। इसलिए उसका प्रत्यक्ष सत्यापन करना संभव नहीं है। कंपनी के प्रबंधन कंपनी के नाम पर राष्ट्रीयकरण की तिथि को अर्जित अचल संपत्तियों के साथ अपने टाइटिल डीड के रिकॉर्ड का मेल-मिलाप करने की स्थिति में नहीं है।

8. बेकार एवं/या अप्रिचलत घोषित किए गए संयंत्र तथा उपकरण को अपने बही में रु8.14 लाख (विगत वर्ष रु10.01 लाख) मूल्य की राशि को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखलाया गया है जिसे पूरी तरह से प्रदान किया गया है।

9. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा एलेकजेंड्रा तथा नेशनल की निश्चित परिसंपत्तियों में से पर्याप्त अंशों का निपट ान कर दिया गया है जो सभी बंद इकाईयां हैं।

मिलों का नाम	**निश्चित परिसंपत्तियों का नाम**	**31.03.2017 तक का कुल ब्लॉक (रु.)**	**31.03.2017 तक का डब्ल्यूडीवी (रु.)**
एलेकजेंड्रा	संयंत्र तथा उपकरण	1,48,276.00	1,483.75
नेशनल	संयंत्र तथा उपकरण	37,45,379.30	61,424.22
कुल		**38,93,655.30**	**62,907.97**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-11 गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

31 मार्च 2019 तक संख्या	31 मार्च 2018 तक संख्या		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
ट्रेड निवेश को छोड़कर				
		(ए) इक्वीटी उपकरणों में निवेश		
		सहायक कंपनियों में इक्वीटी शेयर-अनुद्धृत		
14415	14415	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
10	10	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
143	143	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., 7% संचित तरजीह वाले शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
			0.01	**0.01**
		संबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धृत		
5	5	किन्निसन जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धृत		
250	250	यूनियन नार्थ जूट मिल्स इंप्लॉइज कॉपरेटिव स्टोर्स लि. (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धृत		
180	180	डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लि. (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
111	111	बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
42	42	चेविओट कंपनी लि. (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)*	-	-
			0.02	**0.02**
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धृत		
180	180	हाथीखीरा टी कं. लि., (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
1200	1200	जयपुर उद्योग लि., (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)*	0.02	0.02
95	95	बज बज कं. लि., (अंकित मूल्य रु100/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
95	95	डेल्टा जूट एवं इंडस्ट्रीज लि., (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)*	-	-
20	20	दि गंगेज मैनुफैक्चिरिंग कं. लि., (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)	-	-
2	2	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रू.100/ प्रत्येक)	-	-
26	26	दि एम्पायर जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु10/- प्रत्येक)	-	-
600	600	विलार्ड इंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य रु100/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
3	3	लाउरेंस इंवेस्टमेंट एंड प्रोपर्टी कं. लि. 3 सं. (अंकित मूल्य रु100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
100	100	वेभरली जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु50/- प्रत्येक)	0.01	0.01
36972	36972	ब्रितानिया इंजीनियरिंग कं. लि., (परिसमापन में) (अंकित मूल्य रु100/- प्रत्येक)	-	-
2700	2700	टीटागढ़ जूट फैक्टरी पी एल सी में 1 पांड का 2700 स्टॉक (अंकित मूल्य रु1/- प्रत्येक)*	0.11	0.11
			0.18	**0.18**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-11 गैर चालू निवेश (जारी)

शेयर/प्रतिभूति/बॉड्स/ यूनिट्स की संख्या				
		(बी) तरजीह वाले शेयरों में निवेश		
70	70	जे.एफ.लॉ एंड कं. लि. (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश		
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.700/- परिपक्व)	0.01	0.01
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.5,300/-)	0.01	0.04
		7 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट :		
		पुराना सिरीज	0.05	0.05
		नया सिरीज	0.15	0.15
		पश्चिम बंगाल इस्टेट एक्यूजिशन कॉमपेंसेशन बॉड्स	0.01	0.01
		12 वर्षों का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट	0.01	0.01
		भारत सरकार 5.5% ऋण 1999	0.42	0.42
		(अंकित मूल्य रु. 42,500/-)		
		12 वर्षों का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट	0.01	0.01
		12 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट	0.04	0.04
			0.74	**0.74**
		(डी) डिबेंचर में निवेश-अनुद्धृत		
		ईस्ट इंडियन क्लिनीक लि., 5% गैर प्रतिदेय डिबेंचर	**0.36**	**0.36**
			0.36	**0.36**
		कुल	**1.31**	**1.31**
		बादः प्रावधान	**1.31**	**1.31**
		कुल	**-**	**-**
		*बही मूल्य दर्शाया गया है जिसका रु1,000/- से कम है		
		उद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य	-	-
		अनुद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य		
		बादः प्रावधान	-	-
		कुल उद्धृत एवं अनुद्धृत गैर-चालू निवेश	-	-
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

अतिरिक्त सूचना

	यूनिट	**(रु. लाख में)**	**(रु. लाख में)**
(1) वसूली के संदेहास्पद के लिए बनाये गये प्रावधान	नेशनल	7857	7857
	यूनियन	31172	31172
	किन्निसन	65328	65328
	खाड़दाह	4883	4883
	आर बी एच एम	21340	21340
	कॉरपोरेट	903	903
	एलेकजेंड्रा	3	3
	कुल	**131486**	**131486**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-12 वस्तुसूचियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
(क) कच्चा माल (कम लागत या बाजार मूल्य पर)	138.57		138.57	
जोड़: ट्रांजिट में	-	138.57	-	138.57
(ख) कार्य प्रगति पर (आकलित लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर)		63.38		63.38
(ग) निर्मित वस्तुएं (कम लागत या बाजार मूल्य पर)		199.48		199.48
(घ) भंडारण एवं स्पेयर्स (लागत पर या उससे कम)	380.81		380.81	
बादः मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	154.93	225.88	154.93	225.88
कुल		627.31		**627.31**

अतिरिक्त सूचना

क) एलेकजेंड्रा, नेशनल एवं यूनियन मिलों को छोड़कर किन्निसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम के मामले में वास्तविक मात्रा के आधार पर कच्चे माल के अंतिम स्टॉक, निर्मित वस्तुओं, डब्ल्यूआईपी एवं भंडारण को लेखांकित किया गया है जैसाकि भंडारण प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

ख) अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कंपनी की अनुमोदित नीतियां के अनुसार किया गया है, टिप्पणी सं.1.4 का अवलोकन करें।

टिप्पणी-13 ट्रेड प्राप्तियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
छः महीने से अधिक के लिए बकाया				
(क) असुरक्षित - खारा समझा गया	-		71.27	
- संदेहास्पद समझा गया	283.36		212.09	
	283.36		283.36	
बादः संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्य हेतु प्रावधान	283.36	-	212.09	71.27
(ख) अन्य प्राप्य- खारा समझा गया		-		-
कुल		**-**		**71.27**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-14 नकद एवं नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
(क) बैंक में जमा शेष राशि				
(i) चालू खाता में	176.42		199.93	
(ii) आवधिक जमा खाता में	5,011.74		24,614.87	
(iii) मार्जिन राशि	3.10	5,191.26	3.10	24,817.90
बादः मार्जिन राशि के विरूद्ध प्रावधान		3.10		3.10
		5,188.16		24,814.80
(ख) हाथ में नकदी		0.14		0.37
कुल		**5,188.30**		**24,815.17**

अतिरिक्त सूचना

क) प्रमाणपत्र अधिकारी, ग्रेच्यूटी द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली हेतु रु18.10 लाख (विगत वर्ष रु18.10 लाख) जब्त कर ली गई है जिसमें 31.03.2019 तक के बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाता शामिल है।

ख) i. आवधिक जमा राशि जिसकी परिपक्वता 3 महीने से कम है, वह रु631.10 लाख (विगत वर्ष रु3,694.41 लाख) और जिसकी 3 से 12 महीने के बीच है, वह रु4,380.64 लाख (विगत वर्ष रु20,920.46 लाख) है।

ii. आवधिक जमा खाते में शामिल राशि रु शून्य (विगत वर्ष रु144.00 लाख) आईएसडीएस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि का प्रतिनिधित्व करता है।

ग) रु3.10 लाख का मार्जिन राशि बहुत पुराना जमा शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे अग्रेसित किया गया है। तदनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
ए) संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित - खारा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद समझा गया	4,668.95		4,576.16	
	4,668.95		4,576.16	
बादः प्रावधान	4,668.95		4,576.16	
		-		-
बी) नकदी या इसी प्रकार या प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु प्राप्ति योग्य अग्रिम				
i) श्रोत पर आयकर कटौती				
- खारा समझा गया	649.91		913.32	
- संदेहास्पद समझा गया	408.77		14.85	
	1,058.68		928.17	
बादः प्रावधान	408.77	649.91	14.85	913.32
ii) प्रतिभूति जमा राशि				
असुरक्षित - खारा समझा गया	174.66		244.84	
- संदेहास्पद समझा गया	11.47		11.60	
बादः प्रावधान	186.13		256.44	
	11.47	174.66	11.60	244.84
iii) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि				
असुरक्षित - खारा समझा गया	-		6.93	
- संदेहास्पद समझा गया	12.10		5.17	
	12.10		12.10	
बादः प्रावधान	12.10		5.17	
		-		6.93
iv) अन्यान्य				
असुरक्षित - खारा समझा गया	1,078.62		4.16	
- संदेहास्पद समझा गया	414.21		410.02	
	1,492.83		414.18	
बादः प्रावधान	414.21		410.02	
		1,078.62		4.16
कुल		**1,903.19**		**1,169.25**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)

अतिरिक्त सूचना

ए) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड (बीजेईएल) एनजेएमसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। बीजेईएल के वित्तीय संकट के कारण एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड ने 29 दिसंबर 1986 से समय-समय पर अस्थायी ऋण दिए थे। वर्ष 2004-05 में बोर्ड द्वारा ऋण की अंतिम किस्त दी गई थी। एनजेएमसी लिमिटेड ने 23 दिसंबर 1991 को आयोजित उनकी बोर्ड की बैठक में वर्तमान पर 01.04.1991 से 18.50% ब्याज लेने का भी संकल्प किया और भविष्य में ऋण बीजेईएल को अग्रिम रूप से देना पड़ सकता है।

संचित ऋण एवं ब्याज की वापसी करने में विफलता को ध्यान में रखते हुए एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड ने एनजेएमसी के 2003-04 के लेखों में बीजेईएल से प्राप्ति योग्य राशि हेतु संदेहास्पद ऋण के प्रावधान बनाने और आगे जारी रखने का निदेश दिया।

तदनुसार इसका पालन किया जा रहा है।

31.03.2019 तक संबंधित पार्टी की श्रेणी के तहत ऋण और ब्याज की कुल राशि रु4668.95 लाख (विगत वर्ष रु4576.16 लाख) है, रु4668.95 लाख (विगत वर्ष रु4576.16 लाख) का पूरा प्रावधान वसूली का संदेह के रूप में प्रदान किया गया है।

यह भी दर्शाया जाता है कि भारत सरकार ने 10.10.2018 को बीजेईएल को बंद करने की मंजूरी दी है।

बी) सुरक्षा जमा राशि में रु1.87 लाख की राशि शामिल है जिसे भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में क्षति के छूट के प्रावधान एवं डब्ल्यू.पी.सं.471(डब्ल्यू)/2016 के विरुद्ध उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा निषेधाज्ञा का अस्तित्व में रहने के बावजूद वसूल किया गया है। पूरे रु1.87 लाख का प्रावधान लेखा में किया गया है।

सी) अन्यान्य शामिल

i) यूनिट खाड़दाह के संबंध में रु11.33 लाख की राशि (विगत व्रर्ष रु11.33 लाख) जो वर्ष 1982-83 में रेलवे किराया के जमा/भुगतान के मामले में धन का दुरुपयोग दर्शाता है। मामला न्यायाधीन है। तथापि लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।

ii) यूनिट नेशनल के संबंध में नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल कामगारों की भविष्य निधि के ट्रस्टी को प्रदत्त रु24 लाख की राशि (विगत वर्ष रु24 लाख) ब्याज रहित ऋण के रूप में निधि में ब्रोकरों से प्रतिभूतियों की गैर प्राप्ति के कारण हुई ब्याज की हानि की वसूली के लिए इस शर्त पर दिया गया था कि ब्रोकरों से उक्त प्रतिभूतियों से प्राप्तियां प्राप्त की जाए जो उक्त ऋण की वापसी के लिए उपयुक्त होगा। चूंकि अभी तक कोई प्राप्तियां वसूल नहीं हुई है, इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया है तथा लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।

iii) यूनिट नेशनल से संबंधित दिनांक 31 अगस्त, 1986 को आग लगने के कारण नष्ट हुए निर्मित वस्तुओं के स्टॉक के मूल्य के लिए दावे की शेष राशि एवं निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्य हेतु दावे की शेष राशि क्रमशः रु32.76 लाख (विगत व्रर्ष 32.76 लाख) एवं रु2.24 लाख (विगत व्रर्ष 2.24 लाख) है। उपरोक्त शेष राशि को अस्वीकार करते हुए बीमा दावे का अंततः निपटारा नेशनल बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। कंपनी ने इस मामले को आर्बिट्रेटर के पास फिर भेजने के लिए इसे संबंधित मंत्रालय, नई दिल्ली के पास प्रेषित किया है जैसाकि दो लोक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों का निपटारण करने के मार्गदर्शनाधीन अपेक्षित है। इस मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है एवं इसके विरूद्ध लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।

iv) रु10.39 लाख कंपनी के अधिकारियों को वीआरएस पैकेज के लिए अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है। लेखा में संपूर्ण राशि रु10.39 लाख के लिए प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)

v) लेनदेन के खाते में बीजेईएल से रु.185.64 लाख प्राप्ति योग्य है जिसे आगामी वर्ष में लाया गया है एवं लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।

vi) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को रु.1200.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आधार पर दिया गया है, इस संबंध में उनका पत्र सं.एफ.सं.21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 का अवलोकन करें। 31.03.2019 तक बकाया राशि रु.1078.21 लाख था। समझौता ज्ञापन के शर्तानुसार ऋण के संवितरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर कंपनी के परिसंपत्तियों की बिक्री कर ऋण चुकाया जाएगा।

d) i) श्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) की राशि रु.1058.68 लाख है। उक्त कर निर्धारण का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस राशि(रु. लाख में)
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
Old balance		13.10
Total		**1058.68**

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 एवं उससे आगे का कर निर्धारण को सीपीसी-बंगलोर के पोर्टल में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है परंतु एनजेएमसी ने उपरोक्त कर निर्धारण वर्षों में से किसी भी वर्ष का कोई कर निर्धारण आदेश प्राप्त नहीं किया है।

तदनुसार रु.167.73 लाख को छोड़कर कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसका कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से संबंधित बकाये मांग के विरूद्ध सीपीसी-बंगलोर द्वारा एकतरफा समायोजन किया गया है जैसाकि उनके द्वारा विगत वर्षों में किया गया है परंतु एनजेएमसी लि. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में दर्शाए गए प्राप्ति योग्य टीडीएस राशि में आईटीडीएस खाता से रु.226.18 लाख का हस्तांतरण शामिल है जिसे लंबे समय से आगे लाया जा रहा है एवं कोई विवरण नहीं है जिसका इस वर्ष में प्रावधान किया गया है।

1990-91 से संबंधित मांग के विषय को न्यायिक आयकर प्राधिकारी के पास उठाया गया जिन्होंने मांग की पुष्टि करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और एनजेएमसी लि. को सीपीसी-बंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सीपीसी-बंगलोर से भी संपर्क किया गया जिनका स्पष्टीकरण मिलना अभी शेष है।

आयकर प्राधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत उसे उपयुक्त तरीके से निपटाया जाएगा।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-16 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
(ए)	श्रोत				
	जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	3.53		838.68	
	बादः प्रावधान	1.80	1.73	1.80	836.88
(बी)	अन्यान्य				
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	308.61		264.09	
	बादः प्रावधान	244.62		203.92	
			63.99		60.17
	कुल		**65.72**		**897.05**

अतिरिक्त सूचना

ए) रु308.61 लाख (विगत वर्ष रु 264.09 लाख) की अन्य चालू संपत्तियों में रु55.05 लाख की इनपुट जीएसटी केडिट शामिल है जो भविष्य में जीएसटी देयताओं के विरूद्ध समायोजित होने की उम्मीद है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-17 आई एस डी एस परियोजना (व्यय)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक

ए. एलेकजेंड्रा

क्रम सं.	विवरण	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में
1.	18 सिलाई मशीनों का लागत (एलेकजेंड्रा के लिए 9 और नेशनल के लिए 9)	-	-	-	1.12
2.	सिलाई मशीन का परिवहन प्रभार	-	-	-	0.02
3.	आईएसडीएस की स्थापना करने हेतु प्लग का लागत (ब्लैक ग्रेनाइट कट एंड पॉलिश)	-	-	0.09	-
4.	1 सी/एम कैसिमन 8" पाउडर ड्राइवेन क्लॉथ कटिंग मशीन	-	-	-	0.20
5.	आईएसडीएस की स्थापना करने हेतु प्लग का लागत (ब्लैक ग्रेनाइट कट एंड पॉलिश)	-	-	0.09	-
6.	कुर्सी, कंप्यूटर टेबुल, बेंच की खरीद	-	-	-	0.30
7.	विविध प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मदों का लागत	-	-	0.06	-
8.	आईडी कार्ड का लागत	-	-	0.05	-
9.	सिविल रिपेअरिंग एवं पैंटिंग	-	-	0.07	-
10.	वाहन, चाय, जलपान, मिठाईयां, फुल, वकी, वेल्वेट, स्टिक, साबुन, एमपी के एस्कॉर्ट, 19.02.2016 को आईएसडीएस के उद्घाटन पर बैंड पार्टी, जेरोक्स, कप एवं ग्लास सेट का लागत (यह खर्च यूनिट को दी गई इमप्रेस्ट राशि रु32,000/- से की गई)	-	-	0.28	-
11.	स्कैनर (1) का लागत एवं वाइट बोर्ड (1) का लागत	-	-	-	0.04
12.	फ्लेक्स बोर्ड का लागत	-	-	0.06	-
13.	डेकॉरेटिंग सामानों के भाड़े का लागत	-	-	0.19	-
14.	विद्युत सामानों के भाड़े का लागत	-	-	0.06	-
15.	इंटरनेट लगाने का लागत	-	-	0.03	-
16.	01 अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन का लागत	-	-	-	0.35
17.	01 वाटर प्यूरिफाअर का लागत	-	-	-	0.10
18.	सिविल रिपेअरिंग एवं नवीनीकरण कार्य	-	-	1.56	-
19.	आईएसडीएस के लिए प्रशिक्षण शुल्क	-	-	1.22	-
20.	आईएसडीएस के प्रशिक्षणार्थियों का वेतन	-		0.87	-
	कुल (ए)	**-**	**-**	**4.62**	**2.13**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-17 आई एस डी एस परियोजना (व्यय) (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक

बी.नेशनल

क्रम सं.	विवरण	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में
1.	18 सिलाई मशीनों का लागत (एलेकजेंड्रा के लिए 9 और नेशनल के लिए 9)	-	-	-	1.12
2.	सिलाई मशीन के परिवहन प्रभार	-	-	-	0.03
3.	1 सी/एम कैसिमन 8" पाउडर ड्राइवेन क्लॉथ कटिंग मशीन	-	-	-	0.20
4.	1 पीवीसी वाइट बोर्ड फेब्रिक का लागत	-	-	0.04	-
5.	आईएसडीएस के प्रशिक्षणार्थी की स्थापना करने हेतु	-	-	0.05	-
6.	कक्षा के लिए कुर्सी, टूल, स्टैंड फैन की खरीद	-	-	-	0.23
7.	मिठाईयों की लागत	-	-	0.05	-
8.	आईडी कार्ड का लागत	-	-	0.02	-
9.	19.02.2016 को आईएसडीएस के उद्घाटन पर विभिन्न प्रकार के खर्चे (मिठाईयां, चाय, फुल, कॉफी मशीन का भाड़ा प्रभार आदि) जो रु32,000/- की अग्रिम राशि का समायोजन करने के उपरांत है।	-	-	0.02	-
10.	बोरिंग कार्य (500 लीटर का पानी भंडारण टैंक) के साथ अन्य सामग्री	-	-	0.45	-
11.	पंखा, ट्यूब लाइट, स्वीच बोर्ड आदि का लागत	-	-	-	0.58
12.	आईएसडीएस कार्यक्रम से संबंधित पैंटिंग, रिपेअरिंग, क्लीनिंग, डिसटेम्परिंग	-	-	1.24	-
13.	01 असेंबल्ड डेस्कटोप कंप्यूटर, 01 पावर एक्सटेंशन बोर्ड, 01 यूपीएस 600 वीए का लागत	-	-	-	0.26
14.	01 अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन का लागत	-	-	-	0.35
15.	01 एचपी मेक स्कैनर का लागत	-	-	-	0.03
16.	किन्नीसन एवं नेशनल के बीच वीडियो कॉन्फरेंस हेतु भाड़ा प्रभार	-		0.04	-
17.	विद्युत मदों का लागत	-	-	0.06	-
18.	आईएसडीएस के लिए प्रशिक्षण शुल्क	-	-	1.24	-
19.	आईएसडीएस के प्रशिक्षणार्थियों का वेतन	-	-	0.51	-
20.	दिल्ली में स्थानीय यात्रा खर्च एवं डोंगल व सीम का लागत	-	-	0.02	-
	कुल (बी)	**-**	**-**	**3.74**	**2.80**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-17 आई एस डी एस परियोजना (व्यय) (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	

सी. किन्नीसन

क्रम सं.	विवरण	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में	राशि (राजस्व व्यय)	राशि (पूंजी व्यय) में
1.	30 पीस कुर्सी	-	0.12	-	0.12
2.	आईएसडीएस की स्थापना करने हेतु प्लग का लागत (ब्लैक ग्रेनाइट कट एंड पॉलिश)	-	-	0.09	-
3.	आईएसडीएस की स्थापना करने हेतु प्लग का लागत (ब्लैक ग्रेनाइट कट एंड पॉलिश)	-	-	0.09	-
4.	01 काटने वाला मशीन का लागत	-	-	-	0.20
5.	09 सिलाई मशीन का लागत	-	-	-	1.06
6.	सिलाई मशीन का परिवाहन प्रभार	-	-	-	0.02
7.	02 शौचालय व कमरा (गेस्ट हाउस) का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य	-	-	0.25	-
8.	02 शौचालय व अन्य सैनिटरी कार्य (मेस कुथी) का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य	-	-	0.40	-
9.	100 प्लेट लंच और 200 पाकेट टिफिन की आपूर्ति	-	-	0.35	-
10.	कैटरिंग हेतु दी गई अग्रिम राशि	-	-	0.05	-
11.	सुविधा केन्द्र के लिए काठ वाला बेंच बनाने हेतु	-	-	-	0.09
12.	रजिस्टर, मार्कर, थिनर का लागत	-	-	0.01	-
13.	सिविल व विद्युत सामान, वाहन, हथौड़ा, थिनर, ब्लू, नीडल क्लॉथ, कैपसिटर, पैंट ड्रिल का लागत	-	-	0.10	-
14.	32" एलईडी टीवी की खरीद	-	-	-	0.19
15.	पैंट्स, प्राइमर आदि की खरीद	-	-	0.06	-
16.	पैंट्स, प्राइमर आदि की खरीद	-	-	0.02	-
17.	09 स्टिचिंग मशीन व 01 लार्ज हूक मशीन का लागत	-	-	-	2.90
18.	भाड़ा प्रभार	-	-	0.02	-
19.	प्रोजेक्टर स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर	-	-	-	0.35
20.	क्रिएटिव स्पीकर	-	-	-	0.02
21.	बैनर, लाइम पाउडर, लड्डू, फोटोग्राफ, टिफिन, ड्रेस, डिकोरेटर, विडियो कॉफरेंसिंग का लागत	-	-	0.40	-
22.	01 डेस्कटोप कंप्यूटर, 01 पावर एक्सटेंशन बोर्ड, 01 यूपीएस 600 वीए का लागत	-	-	-	0.25
23.	01 वाइट बोर्ड का लागत	-	-	-	0.01
24.	01 अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन का लागत	-	-	-	0.35
25	वेबकम, स्पीकर व डॉगल का लागत		-	-	0.02
26	टेक्निशियन सेट व मैंटेनेंस लागत	-	-	0.03	-
27	मास्टर ट्रैनर हेतु फीस एवं फाइल्स व जेरोक्स का लागत	-	-	0.02	-
28	आईएसडीएस के प्रशिक्षणार्थियों का वेतन	-	-	1.87	-
29	टावेल, रिबन, वाल क्लॉक आदि का लागत	-	-	0.01	-
30	बुक की गई खर्चे रिवर्स हो गया	-	-	(0.02)	-
	कुल (सी)	**-**	**-**	**3.73**	**5.56**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-17 आई एस डी एस परियोजना (व्यय) (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 तक	**31 मार्च 2018 तक**

डी. कॉर्पोरेट

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि (राजस्व व्यय)**	**राशि (पूंजी व्यय) में**	**राशि (राजस्व व्यय)**	**राशि (पूंजी व्यय) में**
1.	डी (एफ) का कार भाड़ा प्रभार	-	-	0.02	-
2.	आईएसडीएस के उद्घाटन के लिए संयुक्त सचिव (वस्त्र मंत्रालय) का कार भाड़ा प्रभार	-	-	0.09	-
3	आईएसडीएस संबंधित मामले के लिए दिल्ली का दौरा करने पर वहन किया गया खर्चे	-	-	0.06	-
	कुल (डी)	-	-	0.17	-
	कुल (ए+बी+सी+डी)	**-**	**-**	**12.23**	**10.50**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**22.76**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-18 परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
जूट उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	-	-
कुल	-	-

अतिरिक्त सूचना

तीन पुनरुद्धार मिलें अर्थात् किन्नीसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम (कटिहार) 2016 के मध्य से अपरिचालित रहा। भूतपूर्व बीआईएफआर के अनुरुप भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन एवं एलेकजेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए वि.व. 2017-18 एवं 2018-19 के लिए परिचालन से कोई राजस्व नहीं है।

टिप्पणी-19 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए) ब्याज आय				
आवधिक जमा राशि पर बैंकों से ब्याज	1,262.04		1,726.00	
सहायक कं. को दी गई ऋण पर ब्याज आय	92.79		78.30	
		1,354.83		1,804.30
बी) अन्य गैर परिचालन आय		20.93		19.53
कुल		**1,375.76**		**1,823.83**

अतिरिक्त सूचना

ए) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए रु 48,362 लाख ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी। इनमें से 31.03.18 तक रु41,571.41 लाख दे दी गई है। उसमें से खर्च न की गई राशि को फिलहाल सावधि जमा में निवेश किया गया है जिसने वर्ष के दौरान रु1726.00 लाख (विगत वर्ष रु1726.00 लाख) ब्याज अर्जित की है। इसे 2011-12 से लगातार कंपनी के आय के रूप में समझा जा रहा है। 31 मार्च 2016 को दी गई आईएसडीएस के फंड की राशि रु144.00 लाख को भी आवधिक जमा में निवेश किया गया है। इसके ब्याज को भी आवधिक जमा पर बैंक से ब्याज आय में शामिल किया गया है।

बी) सहायक कंपनी को दी गई ऋण पर ब्याज आय को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की गई है, जबकि इसकी गणना सहायक कंपनी द्वारा सामान्य ब्याज के आधार पर की गई है। इस संबंध में समाधान लंबे समय से लंबित है।

ए) अन्य गैर परिचालन आय में निम्नलिखित समाविष्ट है :

i)	सरकारी अनुदान के विरुद्ध मूल्यह्रास से संबधित समायोजन	0.10		0.10	
ii)	सीईएससी से ब्याज	0.58		2.63	
iii)	विविध आय	20.25		16.87	
iv)	अन्यान्य	-	20.93	0.03	19.63
	कुल		**19.53**		**19.63**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-20 उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रारंभिक स्टॉक	138.57		138.57	
जोड़: खरीद	-		-	
		138.57		138.57
बादः जूट की क्षति		-		-
बादः अंतिम स्टॉक		138.57		138.57
उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत (प्रक्रिया में क्षति सहित)		-		-
अतिरिक्त सूचना				
i) उपयोग की गई कच्चे सामग्री में समाविष्ट :- कच्चा जूट				
ii) देशज		-		100%

तीन पुनरुद्धार मिलें अर्थात् किन्नीसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम (कटिहार) 2016 के मध्य से अपरिचालित रहा। भूतपूर्व बीआईएफआर के अनुरुप भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन एवं एलेकजेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए कच्चे सामग्री का कुछ भी खपत नहीं हुआ है।

टिप्पणी-21 निर्मित वस्तुओं के वस्तुसूचियों में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूचियां				
निर्मित वस्तुएं	199.48		199.48	
कार्य प्रगति पर	63.38		63.38	
	262.86		262.86	
स्टॉक का समायोजन	-		-	
		262.86		262.86
वर्ष की समाप्ति पर वस्तुसूचियां				
निर्मित वस्तुएं	199.48		199.48	
कार्य प्रगति पर	63.38		63.38	
		262.86		262.86
शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी)		-		-
कुल		**-**		**669.83**

टिप्पणी-22 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन	79.57	108.59
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	0.74	1.44
ग्रेच्युटी	3.33	8.03
स्टॉफ कल्याण व्यय	0.34	0.96
कुल	**83.98**	**119.02**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-23 वित्त लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर ब्याज	32.39	32.39
बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	0.01
कुल	**32.39**	**32.40**

टिप्पणी - 24 अन्य व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क) निर्माण व्यय		
पावर एवं ईंधन (विद्युत)	34.62	46.58
मरम्मत एवं रख-रखाव - बिल्डिंग	0.04	0.10
मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	2.71	3.35
मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्यान्य	0.69	2.85
	38.06	**52.88**
बी) प्रशासनिक व्यय		
भाड़ा	16.78	16.78
महसूल एवं कर	60.21	130.85
बीमा	14.38	15.56
सुरक्षा व्यय	246.33	271.84
पेशेवर प्रभार	2.00	3.15
कार भाड़ा प्रभार	1.74	5.85
यात्रा एवं वाहन	6.50	5.84
संचार	0.90	1.15
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	0.92	0.98
डिजिटिकरण प्रभार	0.71	1.82
टीडीएस हेतु प्रावधान	393.92	-
कानूनी प्रभार	13.65	1.91
बैंक प्रभार	0.09	0.10
संदेहास्पद व्यापारिक एवं अन्य प्राप्ति योग्य हेतु प्रावधान	168.27	154.76
इनपुट जीएसटी हेतु प्रावधान	40.70	-
पूर्व अवधि मदें(शुद्ध)	26.33	6.06
विविध व्यय	8.44	10.74
विज्ञापन	0.79	0.91
	1,002.65	**628.31**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-24 अन्य व्यय (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक:		
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.37	1.37
ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.45	0.45
iii) लागत लेखापरीक्षा शुल्क एवं लागत रिकार्ड का रख-रखाव	-	-
iv) अन्यान्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.79	4.80
	2.61	6.62
कुल	**1,043.32**	**687.81**
अतिरिक्त सूचना		
i) पूर्व अवधि के मदों में शामिल (शुद्ध)		
पूर्व अवधि के खर्चे	26.33	6.08
बादः पूर्व अवधि के आय	-	0.01
कुल	26.33	6.07

टिप्पणी - 25 प्रति शेयर उपार्जित

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ-हानि विवरण के अनुसार कर के उपरांत		
लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	145.93	919.41
इक्विटी शेयर की वेटेड औसत संख्या	557974	557974
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मूल	26.15	164.78
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मिश्रित	26.15	164.78

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-26

1. 10.10.2018 को भारत सरकार ने एनजेएमसी को बंद करने की मंजूरी दी है। सक्षम प्राधिकारी के दिशानिदेशानुसार डीपीई के द्वारा जारी मार्गदर्शनानुसार बंद की जानी है, इस संदर्भ में का.ज्ञा.सं.डीपीई/5(1)/2014 - वित्त (भाग-I) दिनांक 14.06.2018 का अवलोकन करें।

   दिशा-निदेश के अनुरूप ब्याज मुक्त ऋण को चुकाने के लिए भारत सरकार को 20,000 लाख रुपये वापस की गई है और एनबीसीसी (इंडिया) लि. को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एनजेएमसी लि. के बोर्ड के निदेशकगण के अनुमोदन से संयंत्र व मशीनरी आदि का निपटान करने के लिए मेसर्स एमएसटीसी लि. को ई-नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई मार्गदर्शन दिनांक 14.06.2018 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2) इन वित्तीय विवरणियों में कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के यूनिट एवं 6 मिलों अर्थात् किन्निसन, आरबीएचएम, खारदाह, नेशनल, यूनियन और अलेक्जेंड्रा से संबंधित लेखा समाविष्ट हैं।

3) संबंधित पार्टी के लेनदेन

   i) पार्टियों का ब्यौरा :

रिश्ते का वर्णन	संबंधित पार्टियों का नाम
सहायक कंपनी	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	श्री संजय रस्तोगी

   नोट : संबंधित पार्टियों की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है।

   ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेनदेन एवं 31 मार्च, 2019 तक के बकाया राशि का ब्यौरा:

   ए) सहायक कंपनी के साथ: **(रु. लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
01.04.2018 तक सहायक कं. के पास ऋण की प्रारंभिक जमा राशि	4,576.16	4,497.86
वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-
ब्याज प्रभार	92.79	78.30
31.03.2019 तक अंतिम जमा राशि	**4,668.95**	**4,576.16**

   उपरोक्त जमा राशि के विरुद्ध प्रावधान को टिप्पणी सं.15(ए) में दर्शाया गया है।

   बी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ वित्तीय लेनदेन रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य लाख) है।

4) निदेशक के पारिश्रमिक सहित कर्मचारी के लाभ खर्च निम्न प्रकार है:

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पारिश्रमिक	0.00	0.00
भविष्य निधि में अंशदान	0.00	0.00
ग्रेच्यूटी	0.00	0.00

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
5) विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-26 (जारी)

6) कंपनी का परिचालन केवल घरेलू बाजार में विक्रय करने के लिए एकल जूट उत्पाद का निर्माण और बिक्री करने से संबंधित है। इस प्रकार से लेखाकरण मानक-17 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं है।

7) कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से निरंतर वहन की जा रही हानि को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यथोचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त आयकर योग्य आय होगा जिसके विरूद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन किया जा सके। कंपनी के संचित हानि के कारण कर हेतु कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8) लेखाकरण मानक-28 के अनुसार कंपनी ने अपनी निश्चित परिसंपत्तियों पर क्षीणता हानि का आकलन नहीं किया है।

9) आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं को नहीं दर्शाया है।

(रु. लाख में)

Sl. No.	विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
ए) आकस्मिक देयताएं			
i)	कंपनी ने यूनिट किन्निसन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु ऋण के रूप में दावे को स्वीकार नहीं किया है।	21.35	21.35
ii)	इस निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा एसबीआई होम फिनांस को गारंटी बढ़ाई गई है।	0.97	0.97
iii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा विक्रय कर प्राधिकारी के पास गारंटी जारी की गई है।	0.50	0.50
iv)	कंपनी के विरूद्ध पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकारी एवं बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकारी द्वारा सीफार्म को जमा नहीं करने से संबंधित दावा किया गया है जिसे कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है और तदनुसार अपील को तरजीह दिया है। (वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्निसन 0.002 लाख रु, खारदाह 2.88 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्निसन 43.96 लाख रु, खारदाह 33.83 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्निसन 67.02 लाख रु, खारदाह 36.13 लाख रु एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्निसन 27.47 लाख रु, खारदाह 5.71 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्निसन 3.18 लाख रु)	220.18	412.96
v)	सेवा कर की मांग	0.10	0.10
vi)	इस राशि का भुगतान श्री शिओ कुमार शुक्ला की अपील के मामले में यूनिट के लिए पीएओ(डीजीएमएस), धनबाद को किया गया है।	-	2.62
vii)	बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा राशि 18.10 लाख रु और इंडियन बैंक के पास जमा राशि 1.87 लाख रु को क्रमशः प्रमाणपत्र अधिकारी, ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली करने के लिए जब्त किया गया है।	19.97	19.97

viii)	उस तिथि तक सीपीसी वेबसाइट के अनुसार आयकर प्राधिकारी द्वारा कंपनी के विरूद्ध दावे 436.80 लाख रु. है। इस मामले को न्यायिक आयकर प्राधिकारी के पास उठाया गया है जिन्होंने सूचित किया है कि उन्हें मांग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है और हमें सलाह दी कि इस विष्य को सीपीसी-बंगलोर के पास उठाएं। तदनुसार एनजेएमसी लि. ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा है। एनजेएमसी लि. को अभी उत्तर पाना शेष है। उपरोक्त के अतिरिक्त सीपीसी-बंगलोर के पार्टल में टीडीसी से संबंधित 3.21 लाख रु. की मांग को दर्शाया गया है जो विगत वर्ष से संबंधित है परंतु न्यायिक कर निर्धारण अधिकारी से कोई मैनुअल मांग नहीं की गई है। तदनुसार कंपनी ने उस तिथि तक उसे स्वीकार नहीं किया है और उसे सीपीसी-बंगलोर के पास उठाया जा रहा है।	440.01	-
बी) प्रतिबद्धयता		-	-
कुल		**703.08**	**458.47**

9) जहां भी जरुरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनःव्यवस्थित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग ह

कृते एवं बोर्ड की ओर से

कृते गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 301028ई

श्री विजय कुमार सिंह
निदेशक

(श्री संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(अर्नब देब)
साझेदार
सदस्यता सं. 062018

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव

दिनांक: 20.09.2019
स्थानः कोलकाता